दैनिक
# नव प्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...
www.navpradesh.com | रायपुर, गुरूवार 14 जनवरी 2021, शुक्लपक्ष-प्रतिपदा, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-311 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

### आज बेबाक

देश व दुनिया का दिल दहलाने वाला जान लेवा कोरोना वायरस तो डरपोक निकला। जैसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी वह दुम दबाकर कोने में दुबकने लगा है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का ग्राफ जिस तेजी से नीचे जा रहा है उसे देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि वैक्सीन से कोरोना बहुत ज्यादा घबरा रहा है। मेड इन चाईना कोरोना जानता है कि वैक्सीन मेड इन इंडिया है जो उसका काम तमाम कर देगी। इसके पहले कि उसे बेआबरू होकर कूचे से निकलना पड़े वह शराफत से यह देश छोड़ने का मन बना रहा है।

## पहला चरण। छत्तीसगढ़ पहुंची कोविशील्ड की पहली खेप

# 1.45 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगेंगे दोनों डोज

■ पहली खेप में प्रदेश में आई कोरोना वैक्सीन की 3 लाख 23 हजार खुराक

### पहले हेल्थ वर्कर्स को ही लेगेंगी, राज्य में हेल्थ व फ्रंट लाइन वर्कर्स की संख्या 2 लाख 67 हजार

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। 16 जनवरी को देशभर में शुरू होने जा रहे कोविड वैक्सीनेशन अभियान के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ में भी कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आ गई है। बुधवार को इंडिगो की फ्लाइट से कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण होना है। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन का आगाज हो जाएगा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने नवप्रदेश को बताया कि पहली खेप में वैक्सीन के 3 लाख 23 हजार डोज आए हैं। प्रदेश में 2 लाख 67 हजार हेल्थ तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। उन्होंने बताया कि पहली खेप के डोज से प्रदेश के 1 लाख 45 हजार हेल्थ वर्कर्स को दो डोज लग पाएंगे। उल्लेखनीय है कोरोना की किसी भी वैक्सीन की दो खुराकें लेनी आवश्यक होती हैं। दूसरी खुराक पहली खुराक लेने के करीब करीब 20 दिन बाद लेनी होती है।

माना एयरपोर्ट पर वैक्सीन की पहली खेप...

16 को शुभारंभ

### बिलासपुर, रायपुर तथा दुर्ग संभागों में भी पहुंची वैक्सीन, सरगुजा व बस्तर पहुंचेगी आज

डॉक्टर ठाकुर के मुताबिक वैक्सीन के रायपुर आने के बाद बुधवार को ही इसे रायपुर संभाग के अन्य जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। साथ ही बिलासपुर व दुर्ग संभागों के जिलों में भी वैक्सीन भेजी गई है। सरगुजा व बस्तर संभाग के जिलों के लिए वैक्सीन कल यानी गुरुवार को भेजी जाएगी।

#### इन्होंने किया रिसीव

रायपुर हवाईअड्डे पर कोविशील्ड वैक्सीन लेने के लिए शहर के महापौर एजाज ढेबर, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप जुनेजा, सीएमएचओ मीरा बघेल सहित कई अन्य अधिकारी पहुंचे थे। मेयर ढेबर तो वैक्सीन वाहन के सामने नतमस्तक हो गए। शायद इसी दुआ के साथ ही यह रायपुर समेत पूरे प्रदेश से कोरोना का अंत कर दे। जूनेजा ने भी हाथ जोड़े। एयरपोर्ट से वैक्सीन स्टेट वैक्सीन सेंटर रवाना कर दी गयी। जहां से प्रदेश के अन्य जिलों में इसे भेजे जाने का क्रम जारी है। दूसरी खेप भी जल्द ही छत्तीसगढ़ आयेगी।

#### ऐसे की गई है प्रदेश में व्यवस्था

- एक राज्य स्तरीय, तीन क्षेत्रीय और 27 जिला स्तरीय कोल्ड चैन प्वाइंट बनाई गई
- स्टोरेज व लॉजिस्टिक के लिए 630 एक्टिव कोल्ड चेन प्वाइंट और 85 हजार लीटर से अधिक कोल्ड चैन स्पेस तैयार
- 81 अतिरिक्त कोल्ड चैन प्वाइंट भी स्थापित किए जा रहे हैं।
- वैक्सीन के परिवहन के लिए 1311 कोल्ड-बॉक्स उपलब्ध हैं।
- सीरिंज, नीडल और अन्य संसाधनों के स्टोरेज के लिए 360 ड्राई-स्टोरेज भी बनाए गए
- टीकाकरण के लिए 1349 केंद्र चिन्हांकित किए गए हैं।
- पहले चरण के लिए 13 हजार टीकाकरण केंद्र बनाए
- 8192 वैक्सीनेटर नियुक्त किए गए हैं।
- जरूरत पड़ी तो और सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भी मदद ली जाएगी।
- सभी लोगों के टीकाकरण के लिए 27 हजार 931 टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे।

## इंदौर में सीएमएचओ होंगी पहली हितग्राही

इंदौर (नवप्रदेश)। मध्यप्रदेश के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित इंदौर जिले की प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) बहुप्रतीक्षित कोरोना वैक्सीन की जिले की पहली हितग्राही होंगी। सीएमएचओ डॉ. पूर्णिमा गाड़रिया ने बताया कि गुरुवार को यहां के 101 टीकाकरण केन्द्रों से कोरोना वैक्सीन पहले 26 हजार से ज्यादा चिन्हित और पंजीकृत हितग्राहियों को लगाई जाएगी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन को मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित बताते हुए कहा वे स्वयं गुरुवार को जिले की बतौर पहली हितग्राही पहला टिका लगवाएंगी। इंदौर जिले को 13 बॉक्स यानी 15 हजार से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के वॉयल मिले हैं।

## महाराष्ट्र को मिले 9 लाख 63 हजार डोज

मुंबई/ (वार्ता)। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को बताया कि पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफइंडिया से राज्य सरकार को 963000 टीके मिले हैं जबकि 1750000 टीके मिलने की उम्मीद थी। टोपे ने कहा कि मंगलवार की रात को वैक्सीन 'कोविशील्ड' मुंबई, ठाणे, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, अकोला, नागपुर समेत पूरे राज्य में भेजी गयी है। राज्य के लगभग 511 वितरण केन्द्रों में टीके भेजे जायेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग 18 वर्ष के नीचे हैं, गर्भवती महिलायें और जिन्हें एलर्जी है, उन्हें टीका नहीं दिया जायेगा। सरकार ने तय किया है कि चुने हुए लोगों को पहले टीके की पूरी दो खुराकें दी जायेंगी। पहली खुराक अभी और दूसरी खुराक 4-6 सप्ताह के बाद दी जायेगी।

### खास- खबर

#### एनएलएसआईयू आरक्षण: सुनवाई से हटे जस्टिस ललित

नई दिल्ली/(वार्ता)। नेशनल लॉ स्कूल ऑफइंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) में स्थानीय निवासियों को 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को निरस्त करने संबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई बुधवार को टल गयी, क्योंक एक न्यायाधीश ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कर्नाटक सरकार की अपील जैसे ही सुनवाई के लिए आयी, न्यायमूर्ति ललित ने खुद को सुनवाई से अलग करने की घोषणा की।

#### मुरैना में जहरीली शराब के सेवन से 22 हुई मृतक संख्या

मुरैना/ (वार्ता)। मुरैना जिले में कथित रूप से जहरीली शराब के सेवन से आज तीसरे दिन मृतकों संख्या 14 से बढ़कर 22 हो गई है, जबकि 18 लोगों का उपचार ग्वालियर और मुरैना के अस्पतालों में किया जा रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर 20 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है।

#### कोश्यारी ने भंडारा के सरकारी अस्पताल का किया दौरा

मुंबई/(वार्ता)। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भंडारा में उस जिला जनरल अस्पताल का बुधवार को दौरा किया जिसमें हालही में लगी आग में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गयी थी। कोश्यारी ने इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो इसके लिए प्रशासन को पर्याप्त उपाय करने का निर्देश दिया और प्रत्येक पीड़ित के परिवार के सदस्य को दो लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। इस अवसर पर महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष नाना पटोले, सांसद सुनील मेंढे तथा अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे।

फोटो: डल झील

### बुधवार तक 3-5 डिग्री गिर चुका पारा, आज इसमें और 1 से 2 डिग्री गिरावट के आसार

# फिर जोर पकड़ने लगी ठंड

## बलरामपुर में शीतलहर के असार

■ बस्तर संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज

रायपुर/नवप्रदेश। प्रदेश में ठंड एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आने के कारण बस्तर संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इसके कारण प्रदेश में ठंड अचानक बढ़ी हुई महसूस हो रही है।

मौसम केंद्र रायपुर के वैज्ञानिक एचपी चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में सभी संभागों में तापमान लगभग सामान्य के आसपास बना हुआ है। न्यूनतम तापमान में आज फिर 1 से 2 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। मौसम शुष्क रहने और आकाश मेघ रहित रहने की संभावना है। बलरामपुर में 5.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है इसलिए वहां और उसके आसपास के जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है तथा मध्यम घना कोहरा आ सकता है।

#### ऐसे बदला मौसम का मिजाज

गौरतलब है कि पहले यह अनुमान जताया गया था कि 10 जनवरी के बाद प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। लेकिन 12 जनवरी की रात तक ठंड का अहसास नहीं हुआ। बल्कि पंखे लगाकर रात गुजारनी पड़ रही थी, लेकिन 13 जनवरी के तड़के से प्रदेश ठंडी हवाओं को दौर शुरू हो गया। पिछले कुछ दिनों से 12 तारीख तक सुबह 8 के बाद गर्म कपड़ों के बाहर भी निकला जा सकता था लेकिन 13 की सुबह का आलम अलग था। गर्म कपड़ों का सहारा फिर लेना पड़ रहा है।

### उधर, श्रीनगर में 12 जनवरी की रात रही मौसम की सर्वाधिक ठंडी, जमी डल झील

श्रीनगर/(वार्ता)। केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में पारा शून्य से 7.8 डिग्री सेल्सियस कम के साथ मंगलवार 12 जनवरी की रात इस मौसम की सर्वाधिक ठंडी रात थी, जिससे विश्व प्रसिद्ध डल झील भी जम गई है। सुबह ■ शेष पृष्ठ 6 पर

## प्रदेश में अब तक बर्ड फ्लू की अधिकारिक पुष्टि नहीं

संचालक, पशु चिकित्सा सेवा का दावा

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। राज्य से जांच के लिए अभी तक भेजे गए सभी सेम्पल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं ने बुधवार को यहां यह दावा करते हुए बताया कि बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए राज्य में हरसंभव एहतियाती उपाय किए जा रहे है। जिलों में कलेक्टर पोल्ट्री फार्म संचालकों की बैठक लेने के साथ ही उन्हें जैव सुरक्षा मानकों का पालन करने के साथ ही पोल्ट्री फार्मों में साफ-सफाई रखने के निर्देश ■ शेष पृष्ठ 6 पर

#### रखी जा रही निरंतर निगरानी :

उन्होंने बताया कि पोल्ट्री फार्म एवं कुक्कुट प्रक्षेत्रों में निरंतर निगरानी रखी जा रही है। रोजाना सैम्पल भी कलेक्ट भी किए जा रहे है। बर्ड फ्लू जांच हेतु छत्तीसगढ़ राज्य से अब तक 467 नमूने डब्ल्यूआरडीडीएल को भेजा गया है। बालोद जिले के गिधाली गांव में बीते दिनों में 274 कुक्कुट पक्षियों की असामान्य मृत्यु की जांच हेतु सैम्पल भोपाल भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। बालोद जिले में असामान्य रूप से मृत पाए गए कौव्वों का जांच नमूना निगेटिव मिला है।

#### सभी जिलों व पोल्ट्री व्यवसायियों को अलर्ट जारी :

प्रदेश में इस रोग के प्रवेश को रोकने के लिए समस्त अंतर्राज्यीय सीमाओं, प्रदेश के सभी 1042 निजी बॉयलर, 42 लेयर तथा 12 ब्रीडर कुक्कुट व्यवसायियों, 7 शासकीय कुक्कुट फार्म एवं समस्त जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जिलों के संवेदनशील क्षेत्र जैसे मुर्गी बाजार, मुर्गी फार्म, जलाशय एवं जंगली व प्रवासी पक्षी दिखाई दिए जाने वाले क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

## वायु सेना ने करगिल में फंसे 75 यात्रियों को निकाला

श्रीनगर/(वार्ता)। भारतीय वायु सेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सीमावर्ती शहर कारगिल में फंसे 75 यात्रियों को विमान के जरिये बुधवार को सुरक्षित निकाल लिया। वायु सेना के एएन-32 कारगिल कुरियर सेवा के मुख्य संयोजक आमीर अली ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुरियर सेवा ने विमान के जरिये 21 यात्रियों को कारगिल से श्रीनगर पहुंचाया जबकि दो बच्चों समेत 27 यात्रियों को श्रीनगर से कारगिल पहुंचाया गया। इसके अलावा 27 अन्य यात्रियों को कारगिल से जम्मू पहुंचाया गया। संपर्क अधिकारी कारगिल अनवर हुसैन, संपर्क अधिकारी श्रीनगर मोहम्मद रजा और संपर्क अधिकारी जम्मू मोहम्मद यूसुफ और उनकी सहायक अधिकारियों की टीम ने यात्रियों को सुविधा प्रदान की। उन्होंने कहा कि मौसम साफ रहने पर कारगिल-श्रीनगर के बीच 14 जनवरी को भी कारगिल कुरियर की व्यवस्था रहेगी।

## ट्रम्प को हटाने 25वां संशोधन लागू करने का पेंस से आग्रह

वाशिंगटन/ (वार्ता)। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण वाले निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक प्रस्ताव पारित करके अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस से कैपिटल हिल (संसद भवन) में हुई तोड-फोड़ और हिंसा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कथित भूमिका के लिए उन्हें पद से हटाने के वास्ते 25वें संशोधन की धारा चार लागू करने का आग्रह किया। सदन ने मंगलवार को 223 में से 205 मतों से यह प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में श्री पेंस से कहा गया है कि वह यह घोषणा करने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका 0संभालें कि श्री ट्रम्प अपने कार्यालय के कर्तव्यों और शक्तियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ हैं। श्री पेंस ने सदन के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी को मतदान से कुछ देर पहले एक पत्र में कहा कि 25वां संशोधन लागू करने से भयानक मिसाल कायम होगी और देश विभाजित होगा। पेंस की प्रतिक्रिया के मद्देनजर सदन ■ शेष पृष्ठ 6 पर

फैसला | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी खरीदी की मंजूरी, 45696 करोड़ रुपए होंगे खर्च

# 83 तेजस बढ़ाएंगे हमारी वायुसेना का तेज

नई दिल्ली/ए.। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भारतीय वायुसेना के लिए 73 हल्के लड़ाकू विमान तेजस एमके-1ए तथा 10 तेजस एमके-1 ट्रेनर विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी गई। इसमें 45696 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसमें इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन और विकास में होने वाला 1202 करोड़ रुपये का खर्च भी शामिल है। गौरतलब है कि लाइट कॉम्बेट एमके-1ए वेरिएंट स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया आधुनिक पीढ़ी का फाइटर प्लेन है। इसे बंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके तेजस की खरीद से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस आने वाले सालों में वायुसेना के लड़ाकू बेड़े का आधारस्तंभ बनने जा रहे हैं। लाइन कॉम्बेट एयरक्रॉफ्ट तेजस में ऐसी नई टेक्नोलॉजी शामिल हैं, जिसमें से कई का प्रयास भारत में कभी नहीं हुआ।

#### ये हैं हल्के तेजस की खूबिया

हल्का लड़ाकू विमान तेजस, क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से स्कैन रडार, बियांड विजुल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वारफेयर सुइट और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसी सुविधाओं से सज्जित किया गया है। फिलहाल यह 50 फीसदी देशी है जो बाद में बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। इस आर्डर से आत्मनिर्भर अभियान को गति मिलेगी।

#### वायुसेना के संरचनागत विकास को भी मंजूरी

कैबिनेट ने एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत वायुसेना के संरचनागत विकास को भी मंजूरी दी है ताकि वे अपने बेस डिपो की मरम्मत या सर्विसिंग कर सकें। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में उन्नत, अत्याधुनिक तकनीकों और प्रणालियों को स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

#### सेना प्रमुख के बयान के बाद ये फैसला और भी अहम

गौरतलब है कि मंगलवार को ही सेना प्रमुख मेजर जनरल नरवणे ने कहा था कि भारत के खिलाफ दो मोर्चों पर चीन व पाकिस्तान की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोनों की सामरिक क्षेत्रों में साझेदारी निरंतर बढ़ रही है, जो भारत के लिए खतरा हो सकती है। लेकिन हम ऐसे किसी संभावित खतरे से निपटने पूरी तरह तैयार हैं।

## दिल्ली में सीबीएसई 10वीं, 12वीं की कक्षाएं 18 से

नई दिल्ली/(वार्ता)। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षाओं और अन्य प्रैक्टिकल के मद्देनजर 10वीं और 12 वीं क्लास के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, काउंसिलिंग आदि के लिए स्कूल खोलने की अनुमति देने का बुधवार को एलान किया। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सिसोदिया ने कहा, 'दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं और प्रैक्टिकल के मद्देनज़र 10वीं और 12 वीं क्लास ■ शेष पृष्ठ 6 पर

#### लक्षण वालों बच्चों को नहीं मिलेगा प्रवेश

एसओपी के अनुसार, स्कूल प्रांगण में कोरोना के लक्षण वाले किसी बच्चे- कर्मचारी को आने की इजाजत नहीं होगी। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। स्कूल के प्रवेश, क्लासरुम, प्रयोगशाला और जन सुविधाओं वाली जगहों पर हाथ सैनिटाइजेशन का इंतजाम अनिवार्य है। केवल कटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल ही खुलेंगे। इसके अलावा, कंटेनमेंट जोन में रहने वाला कोई भी शख्स स्कूल नहीं आ सकेगा।

## न्यूज गैलरी

### आरा मिल सील

**दुर्ग।** पाटन के ग्राम छांटा स्थित मनमोहन चेलक सॉ मिल में वन विभाग द्वारा जांच करने पर अवैद्य कौव्हा कास्ट मिलने पर उक्त आरा मिल को विभाग द्वारा सील किया गया है। यहां जांच के दौरान 14 नग कौव्हा कास्ट मिला है। जांच कार्रवाही के दौरान वन मंडल दुर्ग के अधिकारी उपस्थित थे।

### आज प्रशिक्षण

**दुर्ग।** ऑनलाईन जीपीएफ फाइनल पेमेंट सिस्टम एवं सीपीएस, एनपीएस के संबंध में सभी विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण 14 जनवरी को दोपहर 1 बजे ऑनलाईन वेबीनार के माध्यम से रखा है।

### विवेकानंद का स्मरण

**कुम्हारी।** विचक्षण जैन विद्यापीठ के सेमीनार हाल में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाया। स्वामी के चित्र पर संस्था की प्राचार्य नंदिनी चतुर्वेदी उपप्राचार्य मिनी कुरुप ने माल्यार्पण किया। संस्था की शिक्षिका ममता शर्मा ने स्वामी का नाम आचार्य नरेन्द्र से विवेकानंद क्यों हुआ। इस घटनाक्रम को स्मरण करते हुए विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, एडमिशन विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। सीबीएसई ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को कार्यक्रम आयोजित किए जाने मार्गदर्शित भी किया था।

# वादे से ना मुकरे राज्य सरकार : भाजपा

**नवप्रदेश संवाददाता**

**दुर्ग।** किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश भाजपा के विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन के आह्वान के तहत शहर विधानसभा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर राज्य के भूपेश बघेल सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर अपनी आवाज बुलंद की। हिंदी भवन के सामने आयोजित प्रदर्शन में राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय, प्रदेश भाजपा मंत्री उषा टावरी, चंद्रिका चंद्राकर, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार तमेर, जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन, महिला मोर्चा अध्यक्ष सरिता मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, संतोष सोनी के अलावा भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठो के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। धरना में भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी करने, धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, बारदाने का अभाव, रकबा में कटौती करने एवं किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को जमकर कोसा। धरना उपरांत नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और समस्या निराकरण पर जोर दिया गया । इसके पहले भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में रैली भी की गई। यह रैली जिला भाजपा कार्यालय से प्रारंभ होकर जवाहर चौक, मोती कांप्लेक्स, पुराना बस स्टैंड, पटेल चौक होते हुए हिंदी भवन के सामने धरना के रूप में तब्दील हुई।

# नवनिर्मित उद्यान में लगी प्रदर्शनी

**नवप्रदेश संवाददाता**

**भिलाई।** सेक्टर 1 स्थित उद्यान में जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यो से संबंधित प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को किया है इसके बाद से आम लोगों के लिए यह प्रदर्शनी अवलोकन के लिए आगामी कुछ दिनों तक रहेगी जिसे दिन के अलावा रात्रि में भी देखा जा सकता है। उद्यान में भ्रमण के साथ ही प्रदर्शनी का भी अवलोकन कर सकते हैं। निगम के द्वारा जनहित के लिए लगातार कार्य किए जा रहे है। शिक्षा, खेलकूद, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। सौंदर्यीकरण की दिशा में शहर के विभिन्न वार्डों में उद्यान, मुख्य मार्गो पर लाइट तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए इंग्लीश मीडियम स्कूल जैसे बड़े कार्य किए गए हैं। टाउनशिप तथा पटरीपार क्षेत्र में वृहद स्तर पर पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे है। बीते पांच साल में निगम प्रशासन द्वारा किए गए विकास कार्यो तथा आगामी योजना की जानकारी के साथ फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है! नवनिर्मित सेक्टर 01 के गार्डन में लगी प्रदर्शनी आगामी कुछ दिनों तक आम लोगों के अवलोकन के लिए रखा गया है। महापौर देवेन्द्र यादव के कार्यकाल में निगम प्रशासन ने कई उपलब्धियां हासिल किए है, सभी क्षेत्रों में निगम प्रशासन का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनी के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यो को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

# मेरे लिए किसान व सहकारिता महत्वपूर्ण : सांसद बघेल

## अधिकांश किसानों के उत्पाद हुए जैविक : प्रीतपाल

**नवप्रदेश संवाददाता**

**दुर्ग।** श्री बलराम कृषि (उत्पाद एवं विपणन) को-ऑपरेटिव सोसा. मर्या. सबको की 10 वीं आमसभा का आयोजन संस्था के मुख्यालय परिसर में सम्पन्न हुआ। जिसमें अध्यक्षीय भाषण संस्था अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों और सहकारी साथियों की लगभग 38000 सदस्यता वाली इस संस्था की स्थापना किसानों के हित के लिए की गई है, जिसमें किसानों को अपनी भूमि संरक्षण के लिए जैविक रूपी जैविक फसल के उत्पादन के लिए जैविक खाद का उत्पादन एवं वितरण किया जा रहा है। जब इस संस्था की शुरूआत की गई थी उस समय जैविक खाद के बारे में सोचा नहीं करते थे। जिला दुर्ग के किसानों ने प्रयोग करना शुरू किया, जिसमें अधिकांश किसानों के उत्पाद जैविक होते जा रहे हैं। इस संस्था की आगे भविष्य में और भी योजनाएं क्रियान्वयित किये जाएंगे। सहकारिता के सदस्य, प्रतिनिधि सदस्य एवं सांसद विजय बघेल भी निरंतर संस्था के आमसभा में आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए किसान और सहकारिता महत्वपूर्ण है। जब तक जीवित रहूँगा इस संस्था के प्रत्येक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देता रहूँगा। कार्यक्रम का संचालन संस्था के संचालक इन्द्रेश हरमुख ने किया एवं आभार प्रदर्शन पुरूषोत्तम पटेल ने किया। इस दौरान ज्ञानचंद जैन, पंकज जैन, रमाकांत द्विवेदी, शंकरलाल यादव, टीकाराम साहू, ललिता साहू, शांति बाई कुर्रे, प्रेमलाल साहू, कमलनारायण वर्मा, मोहन हरमुख, जय चन्द्राकर, संतोष शर्मा, यशवंत वर्मा, प्रकाश वर्मा, इन्दूप्रकाश, गोवर्धन पटेल, हुलेश्वर हरमुख, लेखूदास साहू, योगेन्द्र दिल्लीवार, विनयकुमार चन्द्राकर, लुकेश बेलचंदन, दिलीप देशमुख, डोंगर सिंह ठाकुर, सुनिल कुमार बेलचंदन, लालनसिंह, खेलनदास कुर्रे, कंसराम साहू, तिरथराम साहू, सीएल साहू, बीडी बेलचंदन सहित संचालक सदस्य, प्रत्यायुक्त सदस्य एवं संस्था के कर्मचारीगण उपस्थित हुए।

# डंप स्लेग हटाने दिया नोटिस

**नवप्रदेश संवाददाता**

**भिलाई।** निगम के औद्योगिक क्षेत्र में गोयल इंजीनियरिंग के द्वारा सड़क में स्लेग डंप कर आवागमन को बाधित किए जाने की जानकारी निगम प्रशासन को प्राप्त हुई है। फैक्ट्री के सामने के रोड पर दोनो किनारे बड़ी मात्रा में लोहे का स्लेग डंप हो जाने के कारण वहां से आने जाने वालों लोगों एवं वाहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते औद्योगिक क्षेत्र में दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। गोयल इंजीनियरिंग के द्वारा डंप किए हुए स्लेग को तत्काल हटाने निगम प्रशासन ने पत्र जारी किया है, अगर स्लेग शीघ्र ही नहीं हटाया गया तो निगम द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। जोन-2 की आयुक्त पूजा पिल्ले द्वारा गोयल इंजीनियरिंग को जारी किए नोटिस में फैक्ट्री के सामने रोड में रखे गए लोहे के स्लेग को हटाने का निर्देश दिया गया है। नहीं हटाने पर निगम प्रशासन द्वारा हटाने की कार्यवाही की जावेगी और इसकी व्यय की वसूली गोयल इंजीनियरिंग वर्क्स से की जाएगी। निगम प्रशासन द्वारा सड़क को बाधा से मुक्त कराने मुहिम छेड़ी।


**न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700014
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका आशा साहू वगै. पिता/पति स्व. उत्तम कुमार साहू निवासी ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 182/2 का टु. रकबा 0.008 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती उमारानी गुप्ता पति देवेन्द्र गुप्ता निवासी ग्राम कचहरी रोड आपापुरा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 23.03.2007 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 25.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 05.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700139
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रौनक दास पिता रविकांत दास निवासी ग्राम सिविक सेंटर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 201/33, 201/26 रकबा 0.0270, 0.0020 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती रिता भट्टाचार्य पति प्रदीप भट्टाचार्य निवासी ग्राम पंचशील हाउसिंग सोसायटी बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 30.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 11.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक केती नागेश्वर राव पिता/पति स्व. के पंडा राव निवासी ग्राम सेक्टर 06 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 151/113 रकबा 0.007 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती मालती बेन अगलवे पति स्व. ईश्वरदत्त अगलवे निवासी ग्राम पंचशील नगर बोरसी से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 30.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 12.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700153
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री पंचराम यादव पिता स्व. रामप्रसाद यादव निवासी ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 88/68 रकबा 0.040 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार सोनकुवर ध.प. रामप्रसाद की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 12.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका कुमारी रामकला चौधरी पिता/पति विनय कुमार चौधरी निवासी सुपेला भिलाई मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 665/1 का टु. रकबा 2500 वर्गफीट भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार विष्णु प्रसाद उर्फ मिश्रीलाल आ. स्व. माखन से दिनांक ..को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 25.01.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 09.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका कुमारी देवनंदनी भगत पिता/पति नीलिकराम भगत निवासी पुरानी बस्ती सुपेला वार्ड 06 भिलाई मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 665/1 का टु. रकबा 2500 वर्गफीट भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार विष्णु प्रसाद उर्फ मिश्रीलाल आ. नीलिकराम साहू से दिनांक ..को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 25.01.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 09.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**ईश्तहार**
रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका दुरपतिबाई देशमुख ध.प. स्व. रोहित देशमुख साकिन थनौद द्वारा ग्राम थनौद प.ह.न. 28 रा.नि.मं. दुर्ग 01 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1155, 1582/2 रकबा 0.14, 0.13 हे. जो उसके स्व. रोहित आ. कार्तिक के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 18.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 01.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**ईश्तहार**
रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती जमुनाबाई पति स्व. व्यासनारायण नागवंशी साकिन मरोदा द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 864/4 रकबा 2280 वर्गफीट जो उसके स्व. व्यास नारायण नागवंशी के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 25.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका ज्योति देवांगन पिता/पति शैलेष देवांगन निवासी आशा नगर जवाहर नगर दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 299/460 का भाग रकबा 0.001 हे. भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार यशवंत बुधे पिता लक्ष्मण राव से दिनांक 11.12.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 25.01.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 09.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सोनी बाई पिता/पति पुनीत राम निवासी कातुलबोर्ड दुर्ग मौजा अण्डा प.ह.नं. 35 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 229/2 का टु. रकबा 2010 वर्गफीट भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार संतोष कुमार चंद्राकर पिता राधेश्याम से दिनांक 22.02.2014 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 27.01.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 11.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21
एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक चेतनलाल आ. स्व. उदेरा निवासी कातरो तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कातरो तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 491/1, 675, 705/1, 903/2 रकबा 2.980, 0.070, 0.060, 4.00 हें भूमि जो कि के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 27.12.2018 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 23.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 08.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्रं./अ-27/वर्ष 2020-21
एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक छन्नूलाल आ. बल्टूराम निवासी कातरो तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम तह. व जिला दुर्ग स्थित खाता क्रं. में दर्ज भूमि खसरा 103, 07, 19, 734 रकबा 0.4700, 0.1600, 0.4800 हें भूमि जो कि आवेदक छन्नूलाल व अन्य के नाम पर शामिलात रुप से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में हुए आपसी बंटवारा एवं कास्त कब्जा के आधार पर सामान हिस्सों में खाता विभाजन किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 11.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय नायब तहसीलदार तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्र./अ-27/ वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक बुधेलाल देशमुख पिता रामाधीन निवासी ग्राम खाडा पोस्ट आलबरस दुर्ग मौजा निकुम प.ह.नं. 33 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1289 रकबा 0.700 हे. मे से आवेदक के हिस्से की भूमि 0.40 हे. का अलग ऋण पुस्तिका प्रदान करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।
अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 25.01.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 06.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**ईश्तहार**
रा.प्र.क्र.//अ-74/वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती जी.डी. पल्ली ध.प. जी.डी. पल्ली वाराब्रम्हाचारी साकिन सेक्टर 9 भिलाई द्वारा अपने पति जो बी.एस.पी. जनरल मैनेजर के पर पर कार्यरत था की मृत्यु दिनांक 22.11.2019 को हो जाने के कारण आश्रिता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
अतः आवेदिका को आश्रिता प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 25.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**ईश्तहार**
रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक विवेक कुमार सोनी आ. स्व. सुधीर कुमार सोनी साकिन मोतीलाल नेहरु नगर भिलाई द्वारा ग्राम ननकट्ठी प.ह.न. 14 रा.नि.मं. दुर्ग-01 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 884/1, 884/2, 884/3, 884/4 रकबा 0.017, 0.08, 0.08, 0.08 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता संतोष आ. ईतवारी से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 27.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**ईश्तहार**
रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका राजेश्वरी वैष्णव ध.प. लेखनाराण दास वैष्णव साकिन रुआबांधा भिलाई द्वारा ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 रा.नि.मं. दुर्ग-01 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 120/1 का टु. रकबा 1500 वर्गफीट को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता सरवन सि छब्बा आ. शंकर सिंह से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 08.02.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 13.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्रं./अ-27/वर्ष 2020-21
एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नूतन साहू निवासी सेक्टर 02 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम तह. व जिला दुर्ग स्थित खाता क्रं. में दर्ज भूमि खसरा 882/26 रकबा 0.040 हें भूमि जो कि आवेदक नूतन, अंजू के नाम पर शामिलात रुप से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में हुए आपसी बंटवारा एवं कास्त कब्जा के आधार पर सामान हिस्सों में खाता विभाजन किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 27.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विघिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 08.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री विकास सेन पिता गजानंद सेन निवासी आशा नगर जवाहर नगर दुर्ग मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 299/460 का टु. रकबा 0.011 हे. भूमि को विक्रेता/आम मुख्तयार यशवंत बुधे पिता लक्ष्मण बुधे से दिनांक 11.12.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।
अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 25.01.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 09.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा-पत्र**
मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सारस्वती चक्रवर्ती पति स्व. स्वरुप कृष्ण निवासी जुनवानी तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पति स्वरुप कृष्ण के नाम पर ग्राम जुनवानी प.ह.नं. 53 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 726/13 संयुक्त 727/14 रकबा 0.020 हे. भूमि एकल खाता में दर्ज है। खातेदार स्वरुप कृष्ण की मृत्यु दिनांक 02.05.2020 को होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।
अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 18.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।
आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।
मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**ईश्तहार**
रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री देवेन्द्र कुमार बोरकर आ. भुवनलाल बोरकर साकिन बालोद द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 257/231 रकबा 0.020 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता मो. जाकीर कुरैशी आ. अब्दुल कादर कुरैशी व अन्य 1 से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 27.01.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।
आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय नायब तहसीलदार भिलाई 03 जिला- दुर्ग (छ.ग.)**
**उद्घोषणा**
रा.प्र.क्र.//ब-121/वर्ष 2019-20
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामशरण अग्रवाल पिता भानुप्रताप निवासी ग्राम नारधी तहसील पाटन जिला दुर्ग के द्वारा मौजा ग्राम नारधी तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नंबर 442, 576, 637, 940 कुल रकबा 4.080 भूमि जो कि आवेदक/आवेदिका एवं अन्य सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, थाना रिपोर्ट, बैंको द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 30.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा
आज दिनांक 13.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद्र मुद्रा के साथ जारी किया गया।
मुहर — नायब तहसीलदार भिलाई-3 जिला दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)**
**ईश्तहार**
रा.प्र.क्र./06/अ-20(3)/वर्ष 2019-20
आवेदिका श्रीमती दुरपति बाई पति स्व. नीलकंठ ठाकुर निवासी ग्राम जंजगिरी थाना अण्डा तह. व जिला दुर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री डी.एस. देशमुख द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग में स्थित नजूल भूमि शीट क्रमांक 29 सी प्लाट नं. 198 रकबा 241 वर्गमीटर भूमि धारक श्रीमती कुंवरबाई पति स्व. मनराख गोंड निवासी तितुरडीह के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक कुंवरबाई की मृत्यु दिनांक 07.02.2012 को हो चुकी है। मृतक धारक के वारिसान एकमात्र आवेदिका दुरपति बाई है। आवेदक द्वारा मृतक धारक का नाम प्रश्नाधीन भूखण्ड से विलोपित कर स्वयं का नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 29.01.2021 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।
मुहर — नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**मामले की श्रेणी-राजस्व**
**ईश्तहार**
मा.क्रं. 20210110100097
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कुरुद प.ह.न. 00050 हे.
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार-
श्रीमती मैना देवी चौहान
अनावेदक पक्षकार-
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मैना देवी चौहान पति हरिकिशन चौहान पता सुपेला द्वारा ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 438/2 रकबा 0.01 हे. भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता श्री रामखिलावन आ. थनवार से क्रय किए जाने के आधार पर अपने नाम नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनामा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 23.01.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपनाा आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08.01.2021 को जारी किया गया है।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर (छ.ग.)

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)**
**मामले की श्रेणी-राजस्व**
**ईश्तहार**
मा.क्रं. 20210110100096
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कुरुद प.ह.न. 00050 हे.
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार-
श्रीमती राधा बाई साहू
अनावेदक पक्षकार-
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती राधा बाई साहू पति श्री बुधराम साहू पता सुपेला भिलाई द्वारा ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 438/3 रकबा 0.02 हे. भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता श्री राजकुमार आ. थनवार से क्रय किए जाने के आधार पर अपने नाम नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनामा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 23.01.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपनाा आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08.01.2021 को जारी किया गया है।
मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर (छ.ग.)

# बेघर लोगों को बसाना है हमारी प्राथमिकता : भूपेश बघेल

## मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत 443 हितग्राहियों को सौंपे भू-अधिकार पत्र, 12 करोड़ 60 लाख के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन-शिलान्यास

■ मुख्यमंत्री कला मन्दिर सिविक सेंटर में नगर पालिक निगम भिलाई के कार्यक्रम में हुए शामिल

नवप्रदेश संवाददाता

**भिलाई नगर।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बेघर लोगों को बसाना हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार द्वारा राजीव गांधी आश्रम योजना के तहत गरीब भूमिहीन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस आशय के विचार आज सिविक सेन्टर भिलाई स्थित महात्मा गांधी कला मन्दिर में विभिन्न विकासकार्यों के भूमिपूजन तथा राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टा वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने कार्यक्रम में भिलाई नगर निगम क्षेत्र के 434 हितग्राहियों सहित कुल 443 हितग्राहियों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत भू-अधिकार पत्र सौंपे और 12 करोड़ 60 लाख के विकास कार्यों का भूमिपूजन-शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत कालातीत हो चुके पट्टों का भी नवीनीकरण किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि राजीव

गांधी आश्रय योजना के तहत अब तक 2768 लोग लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 1984 के 6700 पट्टों का नवीनीकरण किया गया है, 6336 नगरीय आबादी पट्टे और 115 भू-स्वामी हक दिए गए हैं। सिर्फ भिलाई में ही आज 443 भू अधिकार पत्र दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पट्टा वितरण कार्य में जुटे जिला प्रशासन और नगरपालिक निगम, भिलाई के अधिकारियों-कर्मचारियों सहित अन्य लोगों को बधाई देते हुए कहा कि पट्टा वितरण के लिए भूमि सीमांकन-चिन्हांकन आदि की प्रक्रिया बहुत कठिन और मेहनत भरी है, जिसके सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए वे बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से 10 हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र सौंपे जिनमें कलावती साहू, श्रीमती सन्तोषी यादव, श्री कचरू राम साहू, दुर्गा यादव, चन्दा बाई, श्री रतन बेहरा और श्री रोहन बेहरा शामिल रहे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी हितग्राहियों को भी बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और उनके साथ समूह फोटोग्राफ भी खिंचवाई।

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने हितग्राहियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किये जा रहे सर्व जनकल्याण के कार्यों की प्रशंसा पूरे देश मे हो रही है। राजीव गांधी आश्रय योजना द्वारा पट्टा वितरण से नगरीय क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। विधायक तथा भिलाई नगर निगम के महापौर देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही पहली बार ऐसा हो पा रहा है कि भू-अधिकार पत्र वितरण का असल में क्रियान्वयन कर लोगों को उनकी जमीन का हक दिलवाया जा रहा है।

इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, भिलाई विधायक श्री देवेंद्र यादव, विधायक श्री अरुण वोरा सहित अन्य गणमान्य नागरिक और आमजन उपस्थित रहे।

## ■ न्यूज गैलरी

### राज्यपाल ने एम्स रायपुर को दी बधाई

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उइके ने एम्स

रायपुर को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कायाकल्प प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बी कैटेगरी में वर्ष 2019-20 के लिए मिले तृतीय पुरस्कार के लिए ट्वीट कर बधाई दी है। राज्यपाल सुश्री उइके ने कहा कि ये पुरस्कार मिलना गर्व की बात है। इसके लिए मैंन एम्स रायपुर के सभी डाक्टर एवं कर्मचारियों को बधाई देती हूं। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार स्वच्छता और संक्रमण मुक्त अस्पताल परिसर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते है।

### रेहाना खान बनीं प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान की राष्टीय मंत्री

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नेत्री श्रीमती

रेहाना खान रायपुर को प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीत कुमार कौशिक जी निर्देशानुसार संगठन राष्ट्रीय महासचिव ईश्वर सिंह नेत्री जी एवं संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री शमीम बानो जी ने रायपुर की श्रीमती रेहाना खान को राष्ट्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा मनोनीत किया गया है। श्रीमती रेहाना खान रायपुर की भाजपा की सक्रिय महिला नेत्री के रुप में विगत कई वर्षों से कार्य करती आ रही हैं। इनकी नियुक्ति से पूरे प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा नेताओं में हर्ष व्याप्त है श्रीमती रेहाना खान की नियुक्ति से अभियान को छत्तीसगढ़ को एक नई गति मिलेगी और साथ में प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना को आप जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगी ।

### महापौर ने राजधानीवासियों को मकर संक्रांति पर्व पर अग्रिम शुभकामनाएं दीं

**रायपुर।** महापौर एजाज ढेबर ने समस्त राजधानीवासियों को ऋतु परिवर्तन से संबंधित देश के महान सांस्कृतिक पर्व मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी नागरिकों के जीवन में सकारात्मकता सहित सुख समृद्धि स्वास्थ्य एवं शांति देने की प्रार्थना उर्जा शक्ति के प्रतीक देव भगवान सूर्य नारायण से की है। महापौर ने नगर निगम की ओर से सभी राजधानीवासियों से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रायपुर शहर को देष का नंबर एक स्वच्छ शहर बनाने सफाई व्यवस्था सुधारने में सहभागिता आगे आकर दर्ज करवाने का आव्हान मकर संक्रांति पर्व के पावन अवसर पर किया है। श्री ढेबर ने मकर संक्रांति पर्व अवसर पर समस्त नागरिकों से रायपुर को सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर  से सार्थक पहल कर राजधानी के अनुरूप सुन्दर तरीके से विकसित करने के कार्य में सहभागी बनने का प्रण लेने का आव्हान किया है। महापौर ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि मकर संक्रांति पर्व ऋतु परिवर्तन का अवसर होता है एवं देष का यह महान सांस्कृतिक पर्व पूरे देष के नागरिक मिलकर उत्साह के साथ मनाते है।

### प्रमोद दुबे ने नागरिकों को मकर संक्रांति पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दीं

**रायपुर।** नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति  प्रमोद दुबे ने सभी नागरिकों को महान सांस्कृतिक पर्व एवं ऋतु परिवर्तन की सकारात्मकता का जीवंत प्रतीक मकर संक्रांति पर्व के पावन अवसर पर अपनी अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं दीं हैं।  सभापति ने नागरिकों के जीवन में सुखसमृद्धि स्वास्थ्य शांति प्रदान करने की कामना सकारात्मक उर्जा शक्ति के जीवंत प्रतीक सूर्यनारायण देव से पावन अवसर पर की है। सभापति ने नगर निगम की ओर से सभी राजधानीवासियों से स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रायपुर शहर को देश का नंबर एक स्वच्छ शहर बनाने सफाई व्यवस्था सुधारने में सहभागिता आगे आकर दर्ज करवाने का आव्हान मकर संक्रांति पर्व के पावन अवसर पर किया है।

### धान खरीदी केन्द्रों में अव्यवस्था को लेकर भाजपा ने किया प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन

**रायपुर।** धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों की परेशानियों को लेकर भाजपा ने आज कांग्रेस सरकार द्वारा धान की खरीदी में की जा रही लापरवाही के विरूद्ध प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। राजधानी में भाजपा नेताओं ने विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। उक्त प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में, विष्णुदेव साय पत्थलगांव में, धरमलाल कौशिक बिल्हा में एवं बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ शामिल होकर धरना प्रदर्शन किया।

### केन्द्र सरकार को जगाने घंटी एवं शंख बजाकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

**रायपुर** । केंद्र सरकार को जगाओ घंटी और शंख बजाओ अभियान के तहत आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बूढ़ेश्वर मंदिर चौक बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन किया। उक्त आयोजन में शहर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य वरिष्ठ नेता, ब्लाक पदाधिकारी, ग्रामीण कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस के सदस्याओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

## भाजपा किसानों के नाम पर आंदोलन की राजनैतिक नौटंकी करे : कांग्रेस

नवप्रदेश संवाददाता

**रायपुर।** भाजपा द्वारा किये जा रहे आंदोलन पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा कौन सी नैतिकता से किसानों के लिये आंदोनल कर रही है। राज्य के मुद्दों के दिवालियापन से जूझ रही भाजपा किसानों के नाम पर अपनी डूब चुकी नैय्या को बचाने में लगी है। भाजपा दावा कर रही है कि प्रदेश में धान खरीदी सही ढंग से नहीं हो रही जबकि राज्य में अब तक 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। प्रदेश में अब तक लगभग 17 लाख

किसानों का धान सरकार खरीदी कर चुकी है। जब धान खरीदी का लक्ष्य 80 फीसदी पूरा हो गया तब भाजपा को किसानों की सुध आ रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को किसानों के बारे में बोलने का प्रदर्शन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, भाजपा की छत्तीसगढ़ में सरकार थी 15 सालों तक किसानों के साथ वादाखिलाफी किया जब केंद्र में सरकार बनी तब किसानों के हितों के खिलाफ उद्योगपतियों को बढ़ावा देने तीन काले कानून बनाया है। भाजपा को प्रदर्शन करना ही है तो मोदी सरकार के खिलाफ करें। छत्तीसगढ़ का किसान तो खुश है उसका धान समर्थन मूल्य पर बिक रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को 10,000 रू. की अतिरिक्त सहायता मिल रही है, गोधन न्याय योजना से छत्तीसगढ़ के किसान अपने मवेशियों के गोबर तक बेच कर मुनाफा कमा रहे है।

## 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने केन्द्र पर दबाव क्यों नहीं बनाते भाजपाई : असलम

नवप्रदेश संवाददाता

**रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने सात मांगों को लेकर भाजपा के आज से विधानसभा स्तर पर शुरू हो रहे आंदोलन पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की लाशों पर राजनीति करने वाले भाजपाई 60 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से लेने का दबाव केंद्र सरकार पर क्यों नहीं बनाते हैं? भाजपा नेता सच को स्वीकार करने की जगह झूठ फैलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान इनकी ढकोसलों को समझ रहे हैं और वे इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली में ही आंदोलनरत किसानों के साथ ज्यादती नहीं कर रही है, अपितु सच्चाई यह है कि विपक्षी दलों की सरकारों के खिलाफ भी उन्होंने भेदभाव करने का अभियान छेड़ रखा है और किसानों के हित में लिए जाने वाले राज्य की योजनाओं में भी अड़ंगा लगाती है और दबाव बनाकर राज्य सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र करती है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने जारी बयान में कहा कि भाजपा के नेता गिरदावरी में कम हुए कब्जे को पुनः जोड़ने की मांग कर अपनी अज्ञानता प्रदर्शित कर रहे हैं। भूपेश सरकार द्वारा कराए गए गिरदावरी का ही परिणाम है कि आज हर जरूरतमंद किसान अपनी ज्यादा से ज्यादा धान समर्थन मूल्य पर बेच पा रहा है। बारदाने की कमी को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वालों को पता होना चाहिए कि इसी केन्द्र सरकार ने डॉ. रमन के शासनकाल में मांग के अनुरूप बारदाने उपलब्ध कराए थे जबकि भूपेश सरकार द्वारा मांगी गई संख्या के सिर्फ 70 फीसदी बारदाने ही उपलब्ध कराए गए जो इनके भेदभाव को दिखाता है।

## एनएसयूआई के सदस्यों ने अध्यक्ष नीरज कुंदन का छत्तीसगढ़ में किया भव्य स्वागत

नवप्रदेश संवाददाता

**रायपुर।** कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुँचे। एयरपोर्ट पर एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य भगत के नेतृत्व में एनएसयूआई के सदस्यों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि एनएसयूआई छत्तीसगढ़ ने विभिन्न अभियान शुरू किया है, वे इसमें भाग लेंगे। साथ उन्होंने कहा कि संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों से मुलाकात

करेंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा होगी, साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन के चुनाव के संबंध में जो भी निर्णय होगा, वो मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। रायपुर में प्रेसवार्ता को संबोधित करने के बाद नीरज कुंदन भिलाई के लिये रवाना हो गये। वहाँ वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व मंत्री मंडल के अन्य सदस्यों एवं भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के साथ सेक्टर 5 में शहीद पार्क के लोकार्पण व शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल अग्रवाल, भावेश शुक्ला, प्रदेश महासचिव आदित्य भगत, सचिव हेमंत पाल, अख्तर अली, अरुणेश मिश्रा, विवेक यदु जिला अध्यक्ष अमित शर्मा, संचार विभाग अध्यक्ष तुषार गुहा प्रदेश प्रवक्ता सौरव सोनकर महासचिव संकल्प मिश्रा, निखिल बंजारी, हरिओम तिवारी एनएसयूआई पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे।

## कोरोना संक्रमण से 94 स्वस्थ हुए

## 729 नए संक्रमित मिले, 10 की हुई उपचार के दौरान मृत्यु

नवप्रदेश संवाददाता

**रायपुर।** कोरोना वायरस कोविड 19 से नये वर्ष में लोगों को राहत मिलने की जानकारी व्यापक रूप में जनमानस में सोशल मीडिया एवं विभिन्न समाचार माध्यमों से मिल रही है। राज्य में कोरोना का नाश करने के लिए वैक्शिनेशन का कार्यक्रम 14 जनवरी से प्रारंभ होगा। शुरूआती दौर में लोगों में जहां टीके को लेकर हिचकिचाहट का माहौल है वहीं नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष पांडेय के अनुसार अभी भी कोरोना संक्रमण का वातावरण बना हुआ है। लगातार प्रदेश से कोरोना संक्रमितों के मामले प्रकाश में आ रहे है। ऐसी स्थिति में मास्क एवं कोरोना गाइड लाइन का पालन अभी भी किये जाने की आवश्यकता जनमानस को है। उन्होंने विश्वव्यापी महामारी के दौर से गुजरते हुए लोगों से सावधानीपूर्वक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की अपील की है।

छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार रात 8 बजे की स्थिति में प्रदेश से कुल 94 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने की जानकारी दी गई है। नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष पांडेय के अनुसार 729 नये कोरोना पाजीटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। अब तक प्रदेश में कुल 2 लाख 90813 मरीज कोरोना पाजीटिव के पाये गये है जिनमें अस्पताल से अब तक 97,359 मरीज कोरोना उपचार के दौरान स्वस्थ होकर अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। गत 24 घंटे में होम आइसोलेशन से 945 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं प्रदेश स्तर पर अब तक 1 लाख 81,877 मरीज स्वस्थ होकर अपनी दिनचर्या रोजाना की जारी रखने में सफल हुए हैं। प्रदेश में 1039 मरीज गत 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए है।

## 10 लाख रूपये लेकर नहीं किया माल सप्लाई, धोखाधड़ी का केस दर्ज

**रायपुर।** एक कोयला व्यापारी से 10 लाख रूपये लेकर कोयला की सप्लाई नहीं कराकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। खमतराई थाना पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी विजय कुमार वर्मा निवासी श्रीनगर खमतराई जो कोयला व्यापारी है के द्वारा आरोपी विवेक श्रीवास्तव को कोयला खरीदने के लिए आर्डर दिया हुआ था। इस आर्डर के एवज में एडवांस में आरोपी को 10 लाख रूपये उसके बताये खाते में जमा भी कराए, लेकिन रूपये प्राप्त करने के बाद भी आरोपी द्वारा कोयला की सप्लाई प्रार्थी को नहीं कर धोधाधड़ी की।

## ऑनलाईन पिज्जा आर्डर करना महंगा पड़ा, अज्ञात आरोपी ने खाते से उड़ाए करीब 60 हजार रूपये

नवप्रदेश संवाददाता

**रायपुर।** डोमिनो से पिज्जा आर्डर करना एक व्यक्ति को भारी पड़ा। आर्डर लेने वाले मोबाईल धारक अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी को एक लिंक भेजा, जिसके बाद उससे ओटीपी नंबर पूछकर उसके खाते से करीब 60 हजार रूपये पार कर दिए। घटना की रिपोर्ट पुरानी बस्ती थाना में दर्ज कराई गई है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी आलोक चंद वर्मा निवासी प्रोफेसर कालोनी ने जनवरी को शाम के समय में डोमिनो से पिज्जा का आर्डर करने आरोपी मोबाईल नंबर 6201971403 के धारक से बात की। आरोपी ने आर्डर करने के लिए एक लिंक भेजा। लिंक भेजने के बाद , जिसके बाद ओटीपी नंबर भी प्रार्थी से पूछ लिया। ओटीपी नंबर बताने के कुछ देर बाद आरोपी के खाते से 59670 रूपये  आहरण कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मोबाईल धारक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।

**मूलभूत सुविधा** निगम  के मुख्य अभियंता जल आरके चौबे ने कहा - जलशोधन संयंत्र के अनेक संधारण कार्यों को किया संपन्न

# जलप्रदाय में अमृत मिशन फेस 1 के ऑटोमेशन का प्रथम चरण पूर्ण

नवप्रदेश संवाददाता

**रायपुर।** नगर पालिक निगम में अमृत मिशन रायपुर जलआवर्धन योजना (फेस-1) का आटोमेशन का कार्य किया जा रहा है। तद्नुसार अमृत मिशन रायपुर जल आवर्धन योजना (फेस-1) अंतर्गत 80 एम.एल.डी. इंटेकवेल एवं डब्ल्यू.टी.पी. में 11 एवं 12 जनवरी को शटडाउन लिया गया, जिसके तहत् इंटेकवेल में 1000 एम.एम. व्यास का इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फ्लो मीटर को स्थापित किया गया। जिससे 80 एम.एल.डी. इंटेकवेल से प्राप्त होने वाले रॉ वॉटर की मात्रा का रीयल टाइम मेसरमेंट लिया जा सके।

इस संबंध में नगर पालिक निगम रायपुर के मुख्य अभियंता जल आरके चौबे ने जानकारी लेते हुए बताया कि इसी प्रकार 80 एम.एल.डी. डब्ल्यू.टी.पी. में भी क्लीयर वॉटर राईजिंग मेंन में 1200 एम.एम. व्यास का इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फ्लो मीटर स्थापित किया गया है। उक्त दोनो इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फ्लो मीटर की मॉनिटरिंग एवं कंट्रोलिंग वायरलेस कम्यूनिकेशन सिस्टम, आर.टी.डब्ल्यू के माध्यम से फिल्टर प्लांट में स्थित मास्टर कंट्रोल रूम में पी.एल.सी. स्काडा के माध्यम से किया जावेगा।

उक्त शटडाउन में 80 एम.एल.डी. डब्ल्यू.टी.पी. में नवीन स्थापित 6 नग सेन्ट्रीफ्यूगल पंप के एन.आर.व्ही. एवं बटर फ्लाई वाल्व स्थापित किया गया एवं प्रेशर ट्रांस्डयूसर एवं एक्युएटर को भी स्थापित किया गया है। जिससे क्लीयर वॉटर पम्पिंग

सिस्टम की मॉनिटरिंग एवं कंट्रोलिंग पी.एल.सी. स्काडा के माध्यम से किया जाना संभव हो गया है। उक्त शटडाउन में 80 एम.एल.डी. के समस्त पम्पों का नवीनीकरण किया गया है। जिससे क्लीयर वॉटर की कमी समाप्त हो सकेगी। 80 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट के इंटेकवेल में रॉ वाटर 750 एम.एम. व्यास के पीएसी पाईप लाईन को एम.एस. स्टील से नया बदलने का कार्य, खारून में रॉ वॉटर 750 एम.एम.व्यास पाईप का कार्य किया गया। 80 एम.एल.डी. फिल्टर प्लांट के एरेटर चैनल, फ्लाक्कुलेटर, फिल्टर बेड इत्यादि का सफाई एवं डिसइंसफेक्सन, पेंटिग तथा मोटर पंप इत्यादि का मेटेंनेस कार्य, 1600 केवीए सबस्टेशन ट्रांसफार्मर का मेटेंनेस, आईल फिल्ट्रेशन, आईल टॉपअप का कार्य, फिल्टर बेड में लिकेज का वॉटर प्रूफिंग का कार्य किया गया है। जलकार्य विभाग अध्यक्ष श्री सतनाम सिंह पनाग द्वारा संज्ञान लेकर समय सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये।

उपरोक्तानुसार एक ही शटडाउन में अनेक कार्यो को नगर पालिक निगम, आई.एच.पी., पी.डी.एम.सी., रायपुर स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स तथा सहयोगी एजेंसीस व जलशोधन संयंत्र के कर्मचारियों ने उक्त कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न किया। जलप्रदाय में अमृत मिशन फेस-1 के आटोमेशन का प्रथम चरण एक ओर जहां पूर्ण हुआ वहीं जलशोधन सयंत्र के अनेक संधारण कार्यो को संपन्न किया गया।

भविष्य में आटोमेशन के शेष कार्यो को शीघ्र पूर्ण किया जाकर जलप्रदाय में आधुनिकीकरण का यह सोपान पूर्ण करने का लक्ष्य है। शुद्ध जल पंपो में एक्युरेटर्स व वाल्व की स्थापना से पंपो का सफलतपूर्वक संचालन सुलभ हो सकेगा तथा जलप्रदाय का मापन वैज्ञानिक तरीके से संभव होगा।

## संपादकीय

# राजनीतिक वंशवाद का खत्मा जरूरी

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह के दौरान अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीतिक वंशवाद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए इसे जड़ से खत्म करने का आव्हान किया है। वाकई राजनीतिक वंशवाद का खत्मा निहायत जरूरी है। पीएम मोदी का यह कहना भी सही है कि आज भ्रष्टाचार उन लोगों पर भारी बोझ बन गया है जिनकी विरासत भ्रष्टाचार ही थी। वंशवादी राजनीति एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अक्षमता और तानाशाही की प्रवृत्ति को जन्म देती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति परिवार की राजनीति करते है और राजनीति में परिवार को बचाने की दिशा में काम करते है किन्तु अब एक उपनाम की बैसाखी के सहारे चुनाव जीतने के दिन खत्म हो गए है लेकिन वंशवाद की राजनीति की परेशानी अभी भी बनी हुई है और यह वंशवादी राजनीति ही इस देश में सामाजिक भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण है। वास्तव में इस देश में वंशवादी राजनीति अमर बेल बन गई है, गिनी चुनी पार्टियों को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक पार्टियों में वंशवाद ही चला आ रहा है जैसे राजशाही में राजा का बेटा ही राजा बनता था उसी तरह लोकतंत्र को भी अधिकांश राजनीतिक दलों ने राजतंत्र के रूप में ढाल दिया है। जहां नेता का बेटा की नेता बनता है चाहे वह कितना भी अयोग्य क्यों न हो। देश के राजनीतिक दलों के इतिहास पर नजर डाले तो साफ दिखता है कि अधिकांश पार्टियों में बाप दादाओं की विरासत उनके बेटे बेटी या अन्य परिजन ही संभाल रहे है। यह अच्छी बात है कि अब देश की जनता वंशवादी राजनीति को नकारने लगी है। ऐसे राजनीतिक दल जो वंशवाद को बढ़ावा देते रहे है वे एक के बाद एक हाशिए पर जा रहे है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी इसके अलावा भी कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो राजनीति में वंशवाद के पोशक बने हुए है लेकिन अब वे भी धीरे धीरे जनता का विश्वास खोते जा रहे है। वंशवाद की राजनीति करने वालों को देश की जनता खासकर युवा शक्ति ही सबक सिखा सकती है। जब देश के प्रबुद्ध और युवा मतदाता वंशवाद की राजनीति को नकारने लगेंगे तो इन पार्टियों को मजबूर होकर अपनी पार्टी में भी लोकतंत्र कायम करना पड़ेगा और वे परिवार तंत्र से मुक्त हो पाएंगे। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन भारत ने सही मायनों में राजनीतिक पार्टियां अपने दायित्व के प्रति न्याय कर पाएंगी। देश को राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार के चंगुल से मुक्त कराना भी आसान हो पाएगा। देश के युवाओं पर ही यह जिम्मेदारी है कि वे देश के भविष्य को ध्यान में रखकर पूरी ताकत के साथ वंशवादी राजनीति की जड़ पर प्रहार करें।

## विचार

# कमेटी से भी बात करें

दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने के 48वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बड़ी पहल से गतिरोध टूटने की कुछ उम्मीद जगाई है। इस बीच किसानों के प्रतिनिधि मंडल से सरकार की आठ दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इससे कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं जबकि सरकार का कहना है कि वह इन कानूनों में संशोधन पर विचार जरूर कर सकती है, लेकिन ये कानून वापस नहीं लिए जा सकते। दोनों पक्षों के इस अड़ियल रुख के चलते बातचीत महज रस्म अदायगी का रूप लेती जा रही थी। ऐसे में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने थोड़ा और समय देने का सरकारी अनुरोध खारिज करते हुए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने चार विशेषज्ञों की एक समिति भी गठित की है जो सभी पक्षों से बातचीत कर अदालत को विवाद निपटारे के लिए सुझाव देगी। समिति की रिपोर्ट की रोशनी में ही अदालत अपना आगे का रुख तय करेगी। एक बात तय है कि किसानों की ओर से इन तीनों कानूनों की संवैधानिक वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है, न ही इनके तकनीकी पहलुओं को लेकर कोई आपत्ति जताई गई है। ऐसे में स्वाभाविक यही था कि सरकार आंदोलनकारी किसानों की चिंता को संबोधित करते हुए उन्हें संतुष्ट करने का कोई रास्ता निकालती। मगर सरकार के रुख को देखते हुए ऐसा लगने लगा था कि उसकी दिलचस्पी हल निकालने से ज्यादा आंदोलनकारी किसानों को अलग-थलग करने, उनके आंदोलन को कोई विवादित मोड़ देने या उसे सहनशीलता की आखिरी सीमा तक खींचते चले जाने में है। जन असंतोष के सभी रूपों को लेकर यह उसका आजमाया हुआ तरीका रहा है और इसमें उसे सफलता भी मिलती आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अलग रवैया अपनाकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत एक बड़ी आबादी को कड़ाके की ठंड में यूं सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस भावना के तहत ही उसने यह महत्वपूर्ण पहल की है, हालांकि किसानों का रुख इस मामले में अभी बहुत पॉजिटिव नहीं लगता। किसान संगठनों ने कहा है कि वे न तो इस समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे, न ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। जाहिर है, उनके इस रुख में अड़ियलपने का तत्व मौजूद है और इससे सहमति नहीं जताई जा सकती। अदालत ने उनसे अपना संघर्ष समाप्त करने को नहीं कहा है। कृषि कानूनों पर अमल रोकने का आदेश देकर अदालत ने जो सौहार्द का माहौल बनाया है, उसका फायदा उठाते हुए किसान अगर समिति के सामने पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखें तो अदालत भी भविष्य को लेकर उनकी आशंकाओं से परिचित हो सकेगी।

# 'उच्चतम न्यायालय' भी क्या अब 'धमकियों व दबाव से न्याय' देंगी?

**राजीव खण्डेलवाल**

> जब सरकार व आंदोलित किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और टूटी नहीं है और बातचीत के दौरान किसान संगठनों ने सरकार की कमेटी बनाने की पेशकश को लगातार स्वीकार किया हो ÷तब मान न मान मैं तेरा मेहमान÷ की तर्ज पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कमेटी का गठन अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण भी लगता है क्योंकि यह कार्य तो वास्तव में कार्यपालिका व विधायिका (शासन) का है। यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय का इस आदेश पारित करने के पीछे उद्देश्य बात समस्या के प्रति समाधान कारक रवैया (एटीट्यूड) ही है।यह कितना सही है, यह कमेटी के गठन के आदेश पारित होने के बाद उस पर आयी प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसान आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दायर याचिकाओं तथा तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओ पर सुनवाई करते समय याचिकाओ के गुण दोषों पर सुनवाई करने के बजाए तीनों कानूनो का विरोध करने वाले किसान आंदोलन व सरकार पर सख्त व कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को लगभग बाध्य करने वाली चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाये, वरना स्वयं न्यायालय रोक लगाने का आदेश पारित कर देगी। और प्रकरण अगले दिन अंतरिम आदेश के लिए रख दिया गया। यही कहा जा सकता है कि 'समरथ को नहिं दोष गुसाई'।

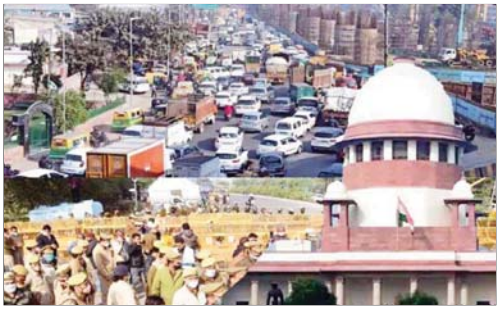

उच्चतम न्यायालय ने एक और नई बात कही कि वह कानून पर रोक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अमल पर रोक की बात कह रहे हैं। व्यवहार में कानून के रोक पर और उसके अमल पर रोक में क्या अंतर है, यह समझ से परे है। दोनों ही स्थिति में न तो कानून की वैधता पर कोई आंच आती है, और न ही कानून के तहत सरकार कोई कार्यवाही आगे कर सकती है। सिर्फ भाषा की दृष्टि से कानून के अमल पर रोकना लगाने से एक अलंकृत रूप से फिलहाल सरकार को अपनी 'हथेली पर सरसों जमाने का' नैतिक बल मिल जाता है कि संसद द्वारा पारित कानून को प्राथमिक दृष्टि से माननीय न्यायालय ने उसकी वैधानिकता पर कोई आंच नहीं आने दी है। जबकि उच्चतम न्यायालय स्पष्ट कर चुका है कि अभी तक उसने उक्त तीनों कानून की वैधानिकता पर सुनवाई प्रारंभ नहीं की है, जिसके लिए अगली तारीख निश्चित की गई है।

जहां तक न्यायालय द्वारा सरकार को चेतावनी देकर आदेश पारित करने के अपने आशय को दर्शित करने का प्रश्न है, वह निश्चित रूप से गरिमामय नहीं है और कहीं न कहीं उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षतः सीधे आदेश पारित करने की अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास मात्र ही कहलाएगा। लगता है की सर्वोच्च न्यायालय 'भई गति सांप छछूंदर केरी' की स्थिति में है।

जनता द्वारा चुनी गई जिस लोकप्रिय सरकार ने संसद में पारित कर कानून बनाया हो, उसी सरकार को बिना किसी प्रत्यक्ष रूप से पारित कानूनी आदेश के, ÷वैध कानून÷ के अमल पर रोकने के लिए मजबूर किया जाए, क्या यह एक विचित्र वैधानिक स्थिति नहीं होगी? उच्चतम न्यायालय कानून की वैधता पर बिना सुने व निर्णय दिये बिना ही सरकार को रोक लगाने का दबाव पूर्ण सलाह देकर सरकार को कटघरे में खडा कर कानून के पालन में सरकार को ही मजबूर कर एक तरह से सरकार को स्वयं के बनाए कानून को अवैध मानने का परशेपशन दे दिया है, यह तो ÷अशर्फियां लुटें और कोयलों पर मुहर÷ वाली बात हो गयी जो कि सही स्थिति नहीं है।

उच्चतम न्यायालय को पूरा अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता की सुनवाई के समय उस पर रोक लगाने का आदेश पारित कर सकती है। लेकिन यहां पर न्यायालय ने यह अधिकार उपयोग करने के पूर्व, विकल्प तो नहीं कहा जाएगा लेकिन एक अवसर (बलपूर्वक) सरकार को दिया कि वह स्वयं उसके द्वारा बनाए गए कानून के अमल पर रोक लगा दे। यदि सरकार की नजर में यह उचित होता तो, वह आंदोलित किसान नेताओं की जो प्रारम्भ में यह मांग रही है, को बातचीत के दौरान मानकर कानून पर रोक लगाकर बातचीत को आगे बढ़ाती, जिसे अभी तक सरकार ने नहीं माना है। लेकिन अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और चूंकि 'हाथी के पांव में सबका पांव' अतः सरकार की 'दोनों ही स्थिति में' अर्थात कुछ करने या न करने की स्थिति में कानून के पालन पर रोक लगा दी जाएगी।

लेख समाप्त करते करते अंततः उच्चतम न्यायालय का यह अंतरिम आदेश आ ही गया कि उक्त तीनों कानून के लागू करने पर 'न्यायालय ने रोक' (होल्ड) लगा दी है, इस कारण जिस विचित्र वैधानिक स्थिति के उत्पन्न होने की आशंका जो उच्चतम न्यायालय में कल की सुनवाई के दौरान उत्पन्न हुई जो उच्चतम न्यायालय के आदेश से फिलहाल दूर हो गई है। लेकिन 'तेल देखना और तेल की धार देखना' अभी बाकी है।

परंतु इस 'अंतरिम आदेश' से एक धारणा उत्पन्न होती सी दिखती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जबरन ही 'पंच बनकर पंचाट' आदेश पारित कर चार सदस्यीय समिति का गठन कर दिया, जिसकी मांग किसी भी पक्ष ने नहीं की थी। और न ही यह ÷विषय वस्तु÷ न्यायालय के समक्ष थी। आदेश के पूर्व दोनों पक्षों से प्रस्तावित कमेटी के सदस्यों के नामों के सुझाव भी नहीं मांगे गए। जब सरकार व आंदोलित किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है और टूटी नहीं है और बातचीत के दौरान किसान संगठनों ने सरकार की कमेटी बनाने की पेशकश को लगातार स्वीकार किया हो 'तब मान न मान मैं तेरा मेहमान' की तर्ज पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कमेटी का गठन अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण भी लगता है क्योंकि यह कार्य तो वास्तव में कार्यपालिका व विधायिका (शासन) का है। यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय का इस आदेश पारित करने के पीछे उद्देश्य बात समस्या के प्रति समाधान कारक रवैया (एटीट्यूड) ही है।यह कितना सही है, यह कमेटी के गठन के आदेश पारित होने के बाद उस पर आयी प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है। इसलिए भविष्य में इस तरह के आदेशों से उच्चतम न्यायालय को बचना चाहिए।

( लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार )

# ऐसे तो समाधान निकलने से रहा

**डॉ. श्रीनाथ सहाय**

> संविधान का अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत को शक्तियां प्रदान करता है कि वह सरकार और संसद द्वारा पारित कानून के अमल पर रोक लगाने का आदेश दे सकती है। कानून को खारिज भी किया जा सकता है, यदि मौलिक अधिकार और संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन ऐसे फैसले के संदर्भ में आशंकाएं भी उचित हैं कि एक नया चलन देश में उभर सकता है। संसद में बना कोई भी कानून विपक्ष या किसी अन्य वर्ग को अनुकूल नहीं लगा, तो वह विरोध करते हुए आंदोलन की राह पर जा सकता है। वह एक सवैधानिक अराजकता की स्थिति होगी। लोकतंत्र के सभी प्रमुख स्तंभों के अधिकारों, दायित्वों और मर्यादाओं को संविधान में अच्छी तरह परिभाषित किया हुआ है।

तीन नये कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा धरना-प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली बेंच ने न केवल तीनों कानूनों के अमल होने पर रोक लगायी बल्कि कृषि विशेषज्ञों व किसान प्रतिनिधियों वाली चार सदस्यीय कमेटी बनाने की अनुमति दी। लेकिन किसान आंदोलनकारी शीर्ष अदालत की बात मानने को भी तैयार दिखाई नहीं देते। किसान नेताओं और कांग्रेस ने शीर्ष अदालत द्वारा बनायी गयी कमेटी के सदस्यों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि किसान आंदोलनकारियों के अड़ियल रूख के चलते समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। आंदोलनकारियों को सरकार और शीर्ष अदालत दोनों पर ही भरोसा नहीं है, ऐसे में बात कैसे बनेगी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत से ही मुद्दे हल होते हैं, लेकिन जब आंदोलनकारी हठधर्मिता पर अड़े हों तो हल दूर-दूर तक होता नहीं दिखता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानूनों को असंवैधानिक करार नहीं दे रहे। हम बस उसके अमल पर रोक की बात कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि आप मसला सुलझाने में नाकाम रहे। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। कानूनों की वजह से आंदोलन हुआ और आंदोलन अब आपको खत्म कराना है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कई ऐसे भी किसान संगठन है जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास अब तक एक भी ऐसी अर्जी नहीं आई, जो कहती हो कि कृषि कानून अच्छे हैं। अगर ऐसा है तो किसान यूनियनों को कमेटी के सामने कहने दें कि कृषि कानून अच्छे हैं। आप तो हमें ये बताइए कि आप कानूनों के अमल को रोकना चाहते हैं या नहीं। दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के दरमियान बातचीत के चरणों पर बेहद निराशा जताई है। यहां तक टिप्पणी की गई कि सरकार ने पर्याप्त परामर्श के बिना ही कानून बनाए और अब वह समाधान देने में असफल रही है, लिहाजा सर्वोच्च अदालत कृषि से जुड़े विशेषज्ञों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो चार सदस्यीय कमेटी बनायी है, उसमें किसान यूनियन के नेता भूपिंदर सिंह मान, अंतर्राष्ट्रीय?खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन के अनिल धनवट शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि यह कमेटी मध्यस्थता नहीं, समाधान निकालने का प्रयास करेगी। साथ ही किसानों से आग्रह किया है कि वे समाधान के लिये कमेटी के पास जायें, जिससे समस्या की सही तस्वीर सामने आ सके। वहीं कई किसान संगठन कोर्ट की पहल से संतुष्ट नजर नहीं आये और आंदोलन जारी रखने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसानों को कमेटी के सामने अपना पक्ष रखना होगा। कोर्ट ने किसानों से भी कहा है कि समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए । साथ ही कहा कि समस्या को अनिश्चितकाल के लिये नहीं टाला जा सकता। कोर्ट ने यह भी साफकिया कि आप कमेटी के पास जाने से मना नहीं कर सकते। आप चाहें तो आंदोलन कर सकते हैं, मगर मामले को लटकाया नहीं रखा जा सकता। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी.रामा सुब्रह्मण्यम की पीठ ने किसानों से कहा कि कमेटी बनाना हमारे अधिकार क्षेत्र में है। हम जमीनी स्थिति को समझना चाहते हैं। कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हम कानूनों को निलंबित कर रहे हैं लेकिन अनिश्चित समय के लिये नहीं। साथ ही कहा कि यह राजनीति नहीं । राजनीति और न्याय तंत्र में फर्क है।?इसमें आपको सहयोग करना चाहिए।

वास्तव में, अदालत की सोच है कि कमेटी इसलिए बनायी जा रही है ताकि अदालत के सामने तस्वीर स्पष्ट हो सके लेकिन साथ ही हम यह नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी के पास नहीं जायेंगे। कमेटी आपकी बात सुनेगी। वह न किसी को दंडित करेगी और न ही कोई आदेश पारित करेगी।? वह केवल हमें रिपोर्ट पेश करेगी।?हम समस्या के समाधान की दिशा में देख रहे हैं। अगर फिर भी किसान आंदोलन करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। दरअसल, शीर्ष अदालत का कहना था कि वह कानूनों की वैधता, इस आंदोलन से प्रभावित नागरिक जीवन और संपत्ति की रक्षा जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित है। यह भी कि अदालत अपनी विद्यमान शक्तियों के दायरे में ही समाधान निकालने का प्रयास करेगी।

## पाठकों की बात

## पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

### पेड़ों से मिलता है

पेड़ों से मिलता है जीवन देवें हमको ये ऑक्सीजन लेना साँस हो गया दूभर मास्क लगा घूमें आजीवन. आओ मिलकर पेड़ लगाएँ जीवन की उम्मीद जगाएँ चारों तरफही हरियाली हो मेघों को फिर से बुलवाए।

**- जे डी कुदाल**

### जीवन मे आराम न

जीवन मे आराम न पाया । थक गई आंखें थक गई काया,

जीवन मे आराम न पाया । टूटे सपने बिखरे सारे कुछ सादा थे कुछ थे न्यारे । सच्चाई को समझ न पाया, जीवन मे आराम न पाया । जीवन मे संग्राम है प्यारे दूर बहुत हैं चाँद सितारे । सपनों में भी चैन नआया , जीवन मे आराम न पाया । अपने हमसे रूठ गए हैं रिश्ते हैं पर टूट गए हैं । साथ चली कब अपनी छाया , जीवन मे आराम न पाया ।

**- सुधीर वत्स**

**ख़ास पाती**

### इंसान ने सीखा पत्थरों से

इंसान ने सीखा पत्थरों से खेलना पत्थर मारना पत्थरों का घर बनाना पत्थरों को तोड़ना पत्थर से मुर्ति बनाना मुर्ति नही भगवान बनाना पत्थर ही तो धरती का सार है पत्थर टूटे जब नदिया की धार चली घीसकर पत्थर रेत हुआ रेत गारे के साथ मिलकर भवन बना पत्थरों ने ही फिर दिवार बनाए परिवार में जिसके मकां में जितने पत्थर वो उतना बड़ा हुआ पत्थरों का सब उपयोग करता मानव ना जाने कब खुद ही पत्थर हुआ कभी कही बचा हो गारा प्रेम का तो बना लेंगे फिर से समाज जोड़ कर इन मानव पत्थरों को जोड़ो देखो अनुपम नेह संसार। **- प्रीती श्रीवास्तव**

### हाँ सच ही तो है जिन्दगी

हाँ सच ही तो है जिन्दगी के उतार चढ़ाव कब कहाँ क्या हादसा हो जाए कब कहाँ क्या खुशियां मिल जाए कुछ भी तो नहीं है निश्चित यहाँ ,, पग पग पर दोस्तों की भीड़ में बहुत छिपे हैं टांग खीचने वाले बहुत छिपे हैं आपके यहाँ बम फोड़ने वाले ,, जाने कब कौन देश द्रोही बन जाए जाने कब कौन आस्तीन का साँप निकल आए ,, ये जीवन मिला है जीने के लिए हम जियेंगे भी और मुस्कुराएँगे भी ,, हमें पता है तलवार की नोंक है जो चलती रहती है हरपल जिन्दगी पर ,, हमें फिर भी मुस्कुराना है , जीवन को मुस्कुराकर। बिताना है। **- सीमा राय द्विवेदी**

### इंसान का अपना क्या है ??

इंसान का अपना क्या है ?? जन्म : दूसरे ने दिया नाम : दूसरे ने रखा शिक्षा : दूसरे ने दी रोजगार : दूसरे ने दिया इज़्ज़त : दूसरों ने दी पहला/आखरी स्नान : दूसरे कराएँगे मरने के बाद संपत्ति : दूसरे बांट लेंगे शमशान : दूसरे ले जायेंगे। फिर भी बेकार में घमंड किस बात पर करते हैं लोग। **- सुनित लाहीरी**

### 80-90 के दशक में पर्चे छपवाकर

80-90 के दशक में पर्चे छपवाकर लोगों को डराया जाता था कि रिक्शावाले ने हजार पर्चे छपवाये तो उसे जमीन में गड़ा खजाना मिला। एक व्यापारी ने पर्चा फाड़ दिया तो उसका बेटा मर गया। अब पर्चे की जगह WhatsApp ने ली है। इससे साबित होता है कि भारतवर्ष में टेक्नोलॉजी भले बदलती रहेगी लेकिन मूर्खता कभी नहीं बदलेगी। **- संतोष कुमार मिश्रा**

### कुछ भुल गये कुछ भुला दिये

कुछ भुल गये कुछ भुला दिये गए! वक़्त के साथ हम भी आगे बढ़ गए!! इंतजार आज कौन करता है यहाँ गोप मिले थे महफिले मोहब्बत में कभी! आज फिर उन्ही ख्यालों में खो गए!!

**- गोप सोनी**

### कभी कुछ खोया कभी कुछ पाया

कभी कुछ खोया कभी कुछ पाया जब खो दिया दिल रो दिया जब पा लिया खुश हो लिया यही खोने पाने का नाम जिंदगी है बिना खोये पाये नाकाम जिंदगी है।

**- रमा पूर्णिमा शर्मा**

### बहुत बचपने में सोचा करती थी ईश्वर

बहुत बचपने में सोचा करती थी ईश्वर ने सुनने को कान दिए बहुत अच्छा किया पर कान पर अर्द्ध गोलाकार छज्जे काये को लगाए, ?? इतने सालों बाद मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कोरोना आने से अब भगवान जी पूछ रहे हैं बेटा जी मास्क कहाँ बाँधती जो ये छज्जे न लगाता????, मतलब भगवान जी को पता था कोरोना का रोना भी मचेगा।

**- आशा पाण्डेय ओझा**

## QUIZ TIME

1) सीख कार्यक्रम किस विश्वविद्यालय संस्था के सहयोग से संचालित की जा रही है?
2) राजीव मितान क्लब की स्थापना का उद्देश्य क्या है?
3) छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के गठन कब हुआ था?
4) देश की पहली ई-लोक अदालत की स्थापना किस राज्य में की गयी?
5) हाल ही में तुषारकांति बोस का आकस्मिक निधन हो गया: उनका संबंध था-

Ramaquiz

उत्तरमाला- 1) यूनीसेफ(2) युवाओं की कौशल विकास और खेलकूद क्षमता का विकास (3) 30 जनवरी, 2020 (4) छत्तीसगढ़ (5) पत्रकारिता

## आज का इतिहास

**नई दिल्ली (वार्ता)।** 1551 - मुगल काल में अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फज़ल का जन्म। 1659 - एलवास के युद्ध में पुर्तगाल ने स्पेन को पराजित किया। 1741 - मराठाओं और अफ़ग़ानों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध शुरू हुआ। 1742 - दुनिया का हेली कॉमेट से परिचय कराने वाले इंग्लैंड के सबसे प्रसिद्ध खगोलविद एडमंड हेली का निधन। 1758 - इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लड़ाई में जीती हुई संपत्ति अपने पास रखने का अधिकार दिया। 1760 - फ्रांसीसी जनरल लेली ने पुडुचेरी अंग्रेज़ों को सौंपा। 1898 - जोयी डार्लिंग ने टेस्ट मैच का पहला छक्का जड़ा। 1912 - रेमंड पोंकारे फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। 1969 - भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। 1974 - विश्व फुटबाल लीग की स्थापना की गई। 1977 - फॉर्मूलावन रेस में फर्राटा भरने वाले पहले भारतीय नारायण कार्तिकेयन का जन्म। 1991 - जॉर्ज सेरानो एलियास ने ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 1994 - टीएम-17 रूसी मानवयुक्त अंतरिक्ष यान चांद पर उतरा। 2007 - नेपाल में अंतरिम संविधान को मंजूरी मिली। 2009 - सरकार ने विदेशी पत्रों के फेसीमाइल (प्रति) संस्करणों से शत-प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी देने की घोषणा की। 2012 - इराक के बसरा में आत्मघाती हमले से 53 मारे गए और 130 लोग घायल हुए। 2016 - सामाजिक कार्यकर्ता और मशहूर साहित्यकार महाश्वेता देवी का निधन।

# विराट कोहली-अनुष्का शर्मा की पैपराजी से अपील, न क्लिक करें उनकी बेटी की कोई फोटो

**नई दिल्ली।** भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने पैपराजी से अपील की है, कि वो उनकी नवजात बेटी की कोई तस्वीर न खींचें। विराट ने 11 जनवरी को ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी थी कि वो एक बेटी के पिता बने हैं, और दोनों बेटी और मां सुरक्षित हैं। विराट और अनुष्का ने मुंबई में पैपराजी को एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की प्राइवेसी का सम्मान करने का आग्रह किया है। इस नोट में उन्होंने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें इस दौरान खूब प्यार दिया। उन्होंने अपने नोट में लिखा कि, ''माता-पिता होने के नाते, हमारी आप से एक रिक्वेस्ट करते है कि हम अपने बेटी की प्राइवेसी की रक्षा करना चाहते हैं और इसलिए हमें आपकी मदद और सपोर्ट की जरूरत है।'' इस दौरान दोनों ने पैपराजी को आश्वासन दिया कि समय आने पर वे खुद अपनी बेटी की फोटो सबके साथ शेयर करेंगे। इसमें नोट में आगे लिखा था अभी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि फिलहाल हमारे बच्चे के संबंध में आप कोई भी कंटेंट कैरी ना करें। अपने नोट में विराट-अनुष्का ने आखिर में लिखा कि आप यह समझेंगे कि हम कहां से आ रहे हैं और हम आपको उसी के लिए धन्यवाद देते हैं।

# 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' का सस्पेंस से भरा टीजर हुआ रिलीज, नहीं है कोई डायलॉग

**नई दिल्ली।** 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' का टीज़र और पहला लुक रिलीज हो हो गया है। नेटफ्लिक्स पर आने वाली यह फिल्म सस्पेंस से भरी हुई है। टीजर देखने पर आपको लगेगा कि फिल्म काफी रहस्यमयी होने वाली है। इसमें परिणीति चोपड़ा एक शराबी महिला के रूप में दिखाई देती हैं, जो फिल्म में नैरेटर भी हैं। टीज़र में कोई भी डायलॉग नहीं है, यही कारण है कि हम केवल परिणीति के बिगड़ते मूड और शारीरिक स्थिति से फिल्म में होने वाली चीजों का अंदाजाभर लगा सकते हैं।

पाउला हॉकिन्स की 2015 की बेस्टसेलर पर आधारित इस फिल्म को रिभु दासगुप्ता ने निर्देशित किया है और इसमें परिणीति चोपड़ा के अलावा अदिति राव हैदरी, कीर्ति कुल्हारी और अविनाश तिवारी भी हैं।

# मैं गलत चीजों में फंसा रहा... सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने शेयर किया एक्टर का नोट

**मुंबई।** दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने उनका एक नोट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस नोट में एक्टर ने खुद के 'गलत चीजों में फंसने' की बात कही है। भाई सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए श्वेता सिंह ने जो नोट पोस्ट किया है, उसमें वह लिखते हैं, 'मैं अपनी जिंदगी के शुरुआती तीस सालों में गलत चीजों में फंसा रहा। मैं कुछ बनना चाहता था। मैं स्कूल में अच्छा होना चाहता था। अच्छे ग्रेड लाना चाहता था और मैंने हर चीज को इसी नजरिए से देखा। मैं जिस रास्ते पर हूं, उसे लेकर सहमत नहीं हूं। मुझे कुछ चीजें मिली भी हैं, लेकिन लगता है कि मैं गलत गेम में फंसा रहा।' सुशांत सिंह राजपूत ने लिखा है, 'मुझे महसूस होता है कि मैं गलत गेम में फंसा रहा। दरअसल मैं जो चीजें चाहता था, वह पहले से ही मैं था।' इस नोट को शेयर करते हुए श्वेता सिंह ने लिखा है, 'भाई के द्वारा लिखित... बेहद गहरे विचार।' सुशांत अकसर इस तरह के दार्शनिक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते थे। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने फ्लैट में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने उनकी मौत को शुरुआती जांच में आत्महत्या करार दिया था, लेकिन तमाम सवाल उठने के बाद अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

# आयशा जुल्का ने बिकिनी सीन के चलते छोड़ दी थी 'प्रेम कैदी' फिल्म

**मुंबई।** आयशा जुल्का भले ही आज फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अब भी उनके फैन्स उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर, हिम्मतवाला, वक्त हमारा है, चाची 420 जैसी लोकप्रिय फिल्मों में काम कर चुकीं आयशा जुल्का की 2010 में अदा मूवी आई थी। इसके बाद लंबे समय तक दूर रहने के बाद वह 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'जीनियस' में नजर आई थीं। बॉलीवुड से दूर रहने को लेकर उनका कहना है कि वह अब भी इसका हिस्सा हैं। बस अभी स्क्रीन से दूर चल रही हैं। उनका कहना है कि वेब सीरीज और टीवी में वह फिलहाल एक्टिंग कर रही हैं। जब उन्होंने लगेगा कि सिनेमा के रोल सही मिल रहे हैं तो वह एक्टिंग के ऑफर्स को स्वीकार करेंगी।

# साल 2020 में अडानी और पूनावाला की दौलत सबसे ज्यादा बढ़ी

### ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार अडानी की संपत्ति में 174 फीसदी का इजाफा 2020 में आया

**नई दिल्ली।** भारत में भले ही मुकेश अंबानी सबसे दौलतमंद कारोबारी हैं, लेकिन 2020 में अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी की दौलत में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार, गौतम अडानी की दौलत में पिछले साल 21.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। साल 2020 में अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी रही, जिससे गौतम अडानी की दौलत 174.8 फीसदी बढ़ी। वहीं, मुकेश अंबनी की संपत्ति में 30.8 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

### शीर्ष 10 अरबपतियों की संपत्ति 76.3 अरब डॉलर बढ़ी शीर्ष

कोरोना संकट के कारण भले ही देश में लाखों लोगों को अपनी नौकरी और कारेबार से हाथ धोना पड़ा लेकिन अरबपतियों के लिए यह साल बेहतरी रहा है। देश के शीर्ष 10 अरबपतियों की संपत्ति पिछले साल 76.3 अरब डॉलर बढ़ गई। इसमें सबसे ज्यादा तेजी से गौतम अडानी और सायरस पूनावाला की संपत्ति में वृद्धि दर्ज की गई। अरबपतियों की संपत्ति में यह वृद्धि उनके कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी के कारण हुई है।

### कोरोना वैक्सीन से पूनावाला की बल्ले-बल्ले

सायरस पूनावाला की संपत्ति में जबरदस्त उछाल उनकी कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट द्वारा बनाए गए कोरोना वैक्सीन के कारण आया। सायरस पुनावाला की संपत्ति पिछले साल 86.7 फीसदी उछल गई। उनके कुल संपत्ति में 7.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी 2020 में हुई। सीरम इंस्टिट्यूट को अगस्त, 2020 में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स की ओर से 150 मिलियन डॉलर का ऑर्डर कोरोना वैक्सीन के निर्माण के लिए मिला था।

### अडानी ग्रुप की कंपनियों में रही तेजी

साल 2020 में अडानी ग्रुप की कंपनियों में जोरदार तेजी रही है। अडानी ग्रीन के शेयरों ने 582 फीसदी की तेजी दिखाई। वहीं, अडानी गैस और अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 112 फीसदी और 86 फीसदी मजबूत हुए।

# सोना-चांदी की कीमतों में बदलाव

**नई दिल्ली।** सोने-चांदी के रेट में आज मामूली बदलाव देखने को मिल रहा है। देशभर के सर्राफा बाजारों में बुधवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 53 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 49664 रुपये पर खुला। जबकि चांदी 341 रुपये महंगी 65905 रुपये प्रति किलो पर खुली। वहीं 22 कैरेट सोना 45444 रुपये, 23 कैरेट गोल्ड 49465 रुपये और 18 कैरेट सोना 37208 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। बता दें इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है।

# सीएचडी कैमिकल्स के तीसरी तिमाही के अच्छे परिणाम घोषित

**चंडीगढ़।** कैमिकल्स तथा डाई मेन्युफेक्चरिंग, ट्रेडिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी, बीएसई में सूचीबद्ध सीएचडी कैमिकल्स लिमिटेड, ने अपने अनऑडिटेड तीसरी तिमाही के परिणामों की घोषणा की। इस घोषणा के अनुसार कम्पनी का सकल लाभ पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 262 प्रतिशत बढ़कर 31.70 लाख पर पहुँच गया, ईपीएस पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.08 रूपये (वित्तीय वर्ष 20 की तीसरी तिमाही) से बढ़कर 0.31 रूपये (वित्तीय वर्ष 21 की तीसरी तिमाही) हो गया। यदि पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में देखें तो, लाभ 280 प्रतिशत बढ़ा और ईपीएस 0.08 रूपये (वित्तीय वर्ष 20 की तीसरी तिमाही) से बढ़कर 0.31 रूपये (वित्तीय वर्ष 21 की तीसरी तिमाही) बढ़ गया। 31 दिसम्बर 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए टर्नओवर, 2023. 57 लाख रुपए पर पहुंच गया। उल्लेखनीय है कि कम्पनी, टैक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर तथा पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए इंडस्ट्रियल कैमिकल्स एवं डाई तथा इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन कैमिकल्स भी बनाती है। कम्पनी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करती है, जिसमें ऑक्ज़िलरीज़: डाइंग, इज़ी केयर फिनिशिंग;फिनिशिंग; फ्लेम रिटार्डेन्ट; ऑक्ज़िलरीज़: ऑप्टिकल ब्राइटनर; पिग्मेंट प्रिंटिंग; वाटर रिपेलेंट; एसिड डाई; डायरेक्ट डाई; डिजिटल प्रिंटिंग के लिए स्याही; वेट डाई; एन्टीफोमिंग डिटर्जेंट तथा बेसिक कैमिकल्स शामिल हैं। कम्पनी ने इसके पहले यह घोषणा की थी कि इसे 56 करोड़ रूपये का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है। कम्पनी अपने व्यवसाय का विस्तार सम्पूर्ण साऊथ ईस्ट एशिया में कर रही है और इसी उद्देश्य से कम्पनी ने इसी क्षेत्र के प्रमुख ग्रुप के साथ हाथ मिलाये हैं। यह नया ऑर्डर कम्पनी के लिये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।


**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

पंजी. 202101100400

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती कमलिता चंदेल पति हेमंत चंदेल निवासी रिसालीभाठा भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 1005/31 रकबा 0.009 हें/ 977 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2)के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

---

**न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700108

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुनील मिश्रा पिता स्व. गोपीप्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम गयानगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 850/1 रकबा 0.220 हे. भूमि को विक्रेता डॉ. तोषी अग्रवाल वगै. पिता विनोद कुमार अग्रवाल निवासी ग्राम बनियापारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 06.01.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 30.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

---

**न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700109

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अरविन्द कुमार बंजारे पिता स्व. गोवर्धन बंजारे निवासी ग्राम मठपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 850/1 रकबा 0.221 हे. भूमि को विक्रेता डॉ. तोषी अग्रवाल वगै. पिता विनोद कुमार अग्रवाल निवासी ग्राम बनियापारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 06.01.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 30.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

---

**न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700128

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दीपक कुमार सिंह अन्य 01 पिता रामसेवक सिंह निवासी ग्राम डी मरोदा सेक्टर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 211/67 रकबा 0.009 हे. भूमि को विक्रेता हिमांशु अग्रवाल पिता लवकुश अग्रवाल निवासी ग्राम कादम्बरी नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 23.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 30.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

---

**न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700140

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका विजय लक्ष्मी देवांगन पिता/पति पल्टूराम देवांगन निवासी ग्राम मोतीपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 737/75 रकबा 0.006 हे. भूमि को विक्रेता पल्टूराम पिता जगनूराम देवांगन निवासी ग्राम मोतीपारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 31.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 30.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 11.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

---

**न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 02 जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101103300020

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री संतोष कुमार साहू पिता स्व. पुनीतराम साहू निवासी ग्राम उरला तह. व जिला दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 532/2, 534/2 रकबा 0.0080, 0.0120 हे. भूमि को हकत्यागकर्ता अशोक कुमार एवं अन्य 01 पिता पुनीतराम सिन्हा से दिनांक 28.12.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 25.01.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 06.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

---

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

पंजी. 202101100400187

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी साहू पति भुवन साहू निवासी कादम्बरी नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बघेरा प.ह.न 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 84/7 रकबा 0.024 हें/ 2634 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2)के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

---

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

पंजी. 202101100400187

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री विकास आ. रामाधार पासवान निवासी रायपुर नाका दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बघेरा प.ह.न 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 69/9 रकबा 0.0200 हें/ 2200 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2)के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

---

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक 202012211100022**

विषय-अ-20(3) मामले की श्रेणी-राजस्व सन् 2020-21
भाटापारा प.ह.नं. 00011 (हे.)
**पक्षकारों का विवरण-**
**आवेदक पक्षकार** - श्रीमती आशा जोशी, विकास जोशी, विशाल जोशी
**अनावेदक पक्षकार** - संजय जोशी, लक्ष्मीनारायण उर्फ विजय कुमार, रीना जोशी

**ईश्तहार**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण जनता भाटापारा प.ह.नं. 11 रा.नि.मं. भाटापारा, तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ.ग. को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती आशा जोशी पति स्व. किशनलाल जोशी एवं अन्य 02 निवासी सदर बाजार संजय वार्ड भाटापारा छ.ग. ने छ.ग.भू.रा.सं. की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम भाटापारा स्थित नजूल शीट क्रमांक 12 सी भूखंड क्रमांक 10 क्षेत्रफल 288 वर्गमीटर भूमि किशनलाल जोशी एवं संजय जोशी, लक्ष्मीनारायण उर्फ विजय कुमर के नाम पर नजूल अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज है। सह धारक किशन पिता किशोरीलाल की मृत्यु दिनांक 16/04/2020 को हो चुका है किशनलाल की मृत्यु होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसानों के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज किए जाने का लेख किया है। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ मेंटनेंस खसरा, अंकसूची की छायाप्रति प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अत: उक्त आवेदित भूमि के नामांतरण में जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा आपत्तियां यदि हो तो वे दिनांक 29/01/2021 को मेरे न्यायालय में स्वत: उपस्थित होकर या अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से दावा आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं होगी।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/01/2021 को जारी किया जाता हैं।

सील — INDIRA DEOHARI, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भाटापारा

---

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

पंजी. 202012100400041

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती हेमलता ठाकुर पति भागवत लाल ठाकुर निवासी सिविक सेंटर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 565/49 रकबा 0.014 हें/ 1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2)के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

---

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

पंजी. 202011100400496

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती नंदनी सोनकर जौ. राजू सोनकर निवासी राजिम जिला गरियाबंद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न 17 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 804/41, 805/10 रकबा 0.011 हें/ 1187 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2)के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

---

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

पंजी. 202011100400146

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती संगीता धोटेकर जौ. राजू धोटेकर निवासी लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास पोलसायपारा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित खसरा नंबर 215/5 रकबा 0.012 हें/ 1290 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2)के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

---

**न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)**

**उद्घोषणा**

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202101100700034

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सरिता पांडे पति कमलेश पांडे निवासी ग्राम कोलिहापुरी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 263/7 रकबा 1260 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती ऋतु जैन पिता/पति केवलचंद दुग्गड़ निवासी ग्राम शैलेन्द्र नगर रायपुर से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 26.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 20.01.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.01.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

---

**कार्यालय, नगर पालिक निगम जोन क्र. 7, रायपुर**

मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

**//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //**

नामांतरण प्र.क्र. 184/2020-2021
वार्ड का नाम- मनमोहन सिंग बक्शी-23

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मनमोहन सिंग बक्शी वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 23/ नया प्लाट (रामनगर कोटामार्ग) जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती सन्नो बेगम पति मो. जमील के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती ललित नगपुरे पति उमाशंकर नगपुरे ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। — जोन कमिश्नर, जोन क्र.-07, नगर पालिक निगम, रायपुर

---

**छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग**
**कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर जिला-नारायणपुर (छ.ग.)**

Phone/Fax No. 07781-252228(O), 252232(R), E-mail dfo_npur@rediffmail.com/dfonpur1@gmail.com

**निविदा सूचना**

क्रमांक / 147 — दिनांक 12/01/2021

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर छ.ग. द्वारा विभागीय/ कैम्पा मद में चल रहे निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक भण्डार सामग्री एवं हैवी वाहन द्वारा किए जाने वाले कार्यों की दर निर्धारण की निविदा आमंत्रित की जाती है। जिस हेतु विस्तृत निविदा प्रपत्र एवं आवश्यत शर्तें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर या दिनांक 06.02.2021, 12.00 बजे दोपहर तक, 500/- का डिमांड ड्राफ्ट/ नगद शुल्क जो वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर के नाम से देय हो, जमा कर पूर्ण आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम बार निविदा दिनांक 06.02.2021 को कार्यालयीन समय 3.00 बजे तक जमा कर उसी दिन समय 4.00 बजे खोली जावेगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अथवा प्रथम निविदा असफल होने पर निविदा की द्वितीय तिथि 12.02.2021 को 4.00 बजे निर्धारित की जाती है।

जी-86292/3 — वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

# निजी क्लीनिक के झोलाछाप डॉक्टरों के पास मरीजों की भीड़, कोरोना टेस्ट में पिछड़ा देवभोग

**नवप्रदेश संवाददाता**

**देवभोग।** निजी क्लीनिक के झोलाछाप डॉक्टरों की इलाज से अब तक मरीजों को शारीरिक और आर्थिक नुकसान उठाना तो पढ़ रहा है। मगर अब इसका असर कोरोना टेस्ट में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि शासकीय अस्पताल में गिनती के मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। तो वही निजी क्लीनिक पर मरीजों का तांता लगा होता है। यही कारण है कि देवभोग शासकीय अस्पताल अन्य अस्पताल की तुलना कोरोना टेस्ट कराने में पिछड़ गया है। मतलब निजी क्लीनिक पर शारीरिक नुकसान उठाकर इलाज कराने वाले मरीजों के लिए सरकार की गाइडलाइन का महत्व बिल्कुल भी नहीं है । तभी अधिकांश क्लीनिक में ना दो गज दूरी ना मास्क और ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता है । यह प्रमुख कारण माना जाता है क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या मैं बढ़ोतरी होने का क्योंकि मंदिर मस्जिद सहित लगभग शराब दुकान में भी सरकार की गाइडलाइन का पालन क्या जाता है। लेकिन अफसोस की बात है झोलाछाप डॉक्टरों की क्लीनिक में बिल्कुल भी गाइडलाइन का पालन होते नहीं देखा जाता। बावजूद इसके स्वास्थ्य अमला हाथ पर हाथ धरे नजर आ रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि पूरी वस्तुस्थिति से जिला प्रशासन अच्छी तरह अवगत हैं । लेकिन कार्यवाही करने की जगह स्थानीय प्रशासन पर सारा ठीकरा फोड़कर साफ-साफ बस निकल रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक कोरोना टेस्ट का आंकड़ा बढ़ने में शासकीय अस्पताल प्रबंधन को काफी मशक्कत करने की जरूरत होगी। क्योंकि गांव गांव के भोले भाले मरीज झोलाछाप डॉक्टर के जाल में फंस कर लगभग अस्पताल से दूरी बना लिए हैं ।बावजूद इसके जिम्मेदार मामला को संज्ञान में लेने की जहमत नहीं उठा रहे हैं।

> कोरोना टेस्ट के डर से भी मरीज अस्पताल नहीं आ रहे हैं और यह भी कारण है कि वह निजी क्लीनिक में अपना इलाज ले रहे हैं
>
> **अंजू सोनवानी,** बीएमओ देवभोग

## विकासखंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन, 300 से अधिक मरीज हुए लाभान्वित

**अर्जुनी।** आयुष विभाग द्वारा पलारी विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोदवा मे विकासखण्ड स्तरीय एक दिवसीय आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न रोगों से संबंधित लगभग 300 से अधिक मरीजों का ईलाज एवं निःशुल्क औषधि का वितरण किया गया। शिविर का शुभांरभ गाँव के सरपंच दुर्गा घनश्याम वर्मा ने भगवान धन्वन्तरि की पूजा अर्चना के साथ किया। इस दौरान जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ महेंद्र कश्यप एवं सरपंच प्रतिनिधि अशोक वर्मा भी उपस्थित थे। इस शिविर में कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में लोगों को विस्तृत जानकारी विशेषज्ञ डॉक्टरो द्वारा दी गयी। इसके साथ ही घर मे काढ़ा कैसे बनाये जाते है उसकी भी पूरी विधि ग्रामीणों को बतायी गई। इस दौरान डॉक्टरों द्वारा इस मौसम में आहार सेवन सम्बंधित जानकारी, बुजुर्गों एवं बच्चों को ठंड से बचाव संबंधित जानकारी ग्रामीणों को दी गयी। विभाग द्वारा प्रकाशित प्रचार समाग्रियों का निःशुल्क वितरण भी किया गया।

## सरस्वती शिशु मंदिर में विवेकानंद जयंती

**खरोरा।** सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरोरा में 12 जनवरी 2021 को स्वामी विवेकानंद जयंती कार्यक्रम मनाया गया ।सर्वप्रथम विद्यालय के प्राचार्य अश्वनी पाटकर, रोहित वर्मा (पत्रकार) ,चेतन प्रसाद द्विवेदी (वरिष्ठ आचार्य) एवं समस्त आचार्य बंधु/भगिनी द्वारा स्वामी विवेकानंद के छाया चित्र पर दीप प्रज्जवलित एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में 8 भैया स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह ,चंद्रशेखर आजाद ,डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ,रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में साज सज्जा किए हुए उपस्थित रहे ।बहिन अन्नपूर्णा तिवारी, आस्था शर्मा,आंचल पुटान, आकांक्षा वर्मा व रितु साहू के द्वारा स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े प्रेरणा प्रसंग को सुंदर भाषण व गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया ।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोहित वर्मा जी ने इसके महत्व पर प्रकाश डाला और स्वामी जी के जीवन चरित्र को अनुकरण करने की प्रेरणा दी ।प्राचार्य जी ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन आदर्शों व भारत के लिए किये गये महान कार्यों का उल्लेख बड़े सुंदर ढंग से किया गया।

## श्री राम मंदिर निर्माण निधि संग्रहण के लिए अभियान के तहत गांव में टोली निर्माण

**खरोरा।** अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण निधि संकलन अभियान के तहत ग्राम फरहदा मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में टोली निर्माण हेतु प्रत्येक ग्राम में बैठक संपन्न हुई यह बैठक 31 जनवरी के पूर्व गांव में रामधुनी मंडली द्वारा प्रचार प्रसार व अंशदान सहयोग की जानकारी फरहदा मंडल के संयोजक खिलेश साहू सरस्वती शिशु मंदिर खरोरा के प्राचार्य अश्वनी पाटकर व युधिष्ठिर बुडेक द्वारा बैठक लिया गया । अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु 31 जनवरी को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अंशदान सहयोग राशि निधि संग्रहण एक ही दिन होना है इसके लिए सभी गांव में बैठक के तहत ग्राम खौली में संयोजक नाथूराम चंद्राकर ,सहसंयोजक कृष्ण कुमार चंद्राकर , निधि प्रमुख होरीलाल चंद्राकर ,राजेंद्र चंद्राकर , ग्राम बुड़गहन में संयोजक रामधन वर्मा , सहसंयोजक रामनारायण यादव , निधि प्रमुख खेदराम वर्मा ,रामाधार वर्मा ,श्रीमती शकुंन वर्मा ,ललिता वर्मा , ग्राम सुंदरा में संयोजक संजय चंद्राकर ,सहसंयोजक शंकर यादव , निधि प्रमुख धनाराम धीवर , परमेश्वर यादव ,प्रकाश यादव , बालक दास मानिकपुरी , रामायण मंडली को नियुक्त किया गया ।

# पैसों के लालच ने शिक्षक को बनाया अंधा, काटा हरा भरा पेड़

- गंडई से 7 किमी दूर बरबसपुर का मामला

**नवप्रदेश संवाददाता**

**गंडई पंडरिया ।** वृक्ष पर्यावरण का संतुलन बनाते है, यह पहली कक्षा में ही पढ़ा दिया जाता है। सब पेड़ों की रक्षा की बात कहते हैं खासकर तो शिक्षक इस बात की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। शासन स्तर पर भी हरे वृक्षों को काटने पर भी पूरी तरह रोक लगी हुई है बावजूद इसके लकड़ी का लालच पेड़ों की रक्षा में बाधक बन रहा है। चंद रुपयों के लालच में लोग हरे पेड़ काटकर अपने विनाश की भूमिका तैयार कर रहे हैं। हर रोज पेड़ों का विनाश किया जा रहा है जिससे पृथ्वी की हरी चादर सिकुड़ती जा रही है। लगता है क्षेत्र में हरे वृक्षों को काटने का मानो अभियान चल रहा है। क्षेत्र में हरे पेड़ों को काटने का यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। ग्रामीण अंचलों में आम, नीम जैसे पेड़ों का कटान तो जमकर किया जा रहा है। ग्रामों में चोरी छिपे पेड़ों को काटा जाता है ऐसा तब हो रहा है जब हरे वृक्षों के कटान पर शासन ने पूरी तरह रोक लगा रखी है। लेकिन ऊपर से नीचे तक लगी भ्रष्टाचार की दीमक के चलते हरे पेड़ों के कटान का काम दिन दो गुनी रात चौगुनी गति से हो रहा है। लकड़ी माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई न होने के कारण उनके हौसले बुलंद हैं। यदि हरे पेड़ों को काटने का यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और लोगों को शुद्ध हवा के भी लाले पड़ेंगे।

उल्लेखनीय है की नगर से महज 7 किलोमीटर की दुरी पर स्थित ग्राम पंचायत बरबसपुर में बीते कुछ दिन पहले बरबसपुर से सुखरी हरडंडा जाने वाले मुख्य सड़क किनारे लगे दो नग फलदार वृक्ष (कैट के पेड़)को बेरहमी के साथ कटवा दिया गया है। ग्रामीण सूत्रों की माने तो इसके पीछे पेड़ कटवाने वाले श्याम प्रसाद शर्मा पिता फत्ते प्रसाद शर्मा निवासी बरबसपुर का मानना था कि उक्त पेड़ को उनके परिवार द्वारा लगवाया गया है अतः पेड़ को काटने और बेचने का अधिकार उनका है, इसलिए ही उनके द्वारा देवपुरा के किसी व्यक्ति के पास पेड़ को बेचा गया था और देवपुरा के ही व्यक्ति ने उक्त पेड़ को काटा था। मिली जानकारी अनुसार पेड़ कटाई होने के जानकारी राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों को होने के बाद मौके पर उनके द्वारा पटवारी को भेजा गया और पटवारी द्वारा पंचनामा तैयार कर प्रकरण बनाया गया है।पटवारी पंचनामा के अनुसार दिनाक 31 दिसम्बर को ग्राम बरबसपुर हल्का नम्बर 25 रानिम पेंडरवानी तहसील छुईखदान जिला राजनाँदगाँव में श्याम प्रसाद शर्मा पिता फत्ते प्रसाद शर्मा जाती ब्राम्हण निवासी बरबसपुर के द्वारा 2 नग कैट (फलदार वृक्ष ) को बिना किसी अनुमति के पूर्णता कटवाया गया है।मौके पर ग्रामवासी ग्राम कोटवार उपस्थित थे। वृक्ष को श्याम प्रसाद शर्मा के पुत्र दिलीप शर्मा के द्वारा कटवाया गया है कटवाये वृक्षो की लंबाई 15 मीटर एवम गोलाई 1.2 मीटर है जिसे जप्त करके दिलीप शर्मा के सुपुर्द में दिया गया है।

# कृषि मण्डी के सामने भाजपा का विशाल धरना प्रदर्शन

- पुरे प्रदेश में 6लाख किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ : शिवरतन
- बैलगाड़ी हाककर विधायक ने किसानों के साथ दिया ज्ञापन

**भाटापारा।** भाजपा,विधायक शिवरतन शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने लगभग 2500 किसानो के साथ 15 बैल गाड़ी,117 ट्रेक्टर में लगभग 2.5 किलोमीटर लम्बी भव्य रैली निकालकर शहर थाना में राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौपा।

इसके पूर्व छत्तीसगढ़ के किसानों की मांगों को लेकर भाजपा का धरना भाटापारा विधायक, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी प्रांगण के सामने धरना प्रदर्शन हुआ..बैल गाड़ी में स्वयं चला कर विधायक शिवरतन शर्मा और ट्रैक्टर में कार्यकर्ताओं के लेकर धरनास्थल से शहर थाने पहुंचे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि जिस तरह चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने कई बिंदुओं का घोषणा पत्र तैयार कर जनता को झांसे में लेकर पूर्णबहुमत से सरकार बनाई है वही सरकार के दो साल पूरे होते ही आमजन अपने आप को ठगा सा महशुस करने लगा है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद न तो किसानों का धान तय सीमा में खरीदा गया, न ही किसानों को बोनस मिला और न ही किसानों का धान एक मुश्त पच्चीस सो रुपये में खरीदा गया। शर्मा ने कहा कि किसानों के लिए जो वादे किए थे, ÷शायद सरकार उन वादों को भूल चुकी है,, शर्मा ने सरकार की नीतियों को गिनाया इन्होंने बताया कि 15 सालो रमन सरकार में किसानों का स्तर किस स्थान में था और आज कांग्रेस सरकार में किसानों की क्या दशा है। आज किसानों को बारदाने के लिए कितनी मुस्किलो का सामना करना पड़ रहा है ,,भुपेश सरकार ने हर वर्ग को ठगा है ,किसानों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम हुआ है और 22 को जिला स्तरीय धरना कार्यक्रम किया जाएगा.

भाजपा के जिला पदाधिकारी,सभी मंडल के पदाधिकारी, महिला मोर्चा,युवा मोर्चा,प्रकोष्ठ धरना स्थल में बुधवार दोपहर करीब 12.30 बजे से चल रहे इस धरने में जिला महामंत्री राकेश तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा अनिल पांडेय,जिला मंत्री महाबल बघेल,पूर्व जिलापंचायत अध्यक्ष पूनम मार्कण्डेय, धनीराम साहू,महामंत्री पवन वर्मा,रोशन साहू,योगेश अनन्त,गोपाल देवांगन, देवक साहू,मथुरा यदु,चंद्रप्रकाश साहू,गोविन्द पटेल चंद्रमणि तिवारी,छोटे लाल यादव,कमलेश साहू,विधायक प्रतिनिधि धीरज जैन,आशिष जायसवाल, सूर्यकान्त ताम्रकार,सुरेश मिश्रा,राजा शर्मा,संजय सिंह चौहान, राजीव शर्मा, परस देवांगन,चंद्रप्रकाश साहू, सियाराम साहू,हेम सिह चौहान,सुनील यदु,राजा कामनानी,रामु साहू, सतीश सोनी,जिलापंचायत शंकर ध्रुव,प्यारे रजक,बहोरिक यदु,आयशा खान,नीरा साहू,चन्द्रकला,पुरुषोत्तम यदु,संजय शुक्ला,हारून,सुभम राजपूत, पिंटू,रिंकू,भरत डहरिया, गोवर्धन डहरिया,भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे।कार्यक्रम का संचालन महाबल दास बघेल ने किया।

# पूर्व अध्यक्ष के बाद वर्तमान अध्यक्ष ने भी फूंका सांसद का पुतला

**गंडई पंडरिया।** गंडई में गुटबाजी के चलते कांग्रेसियो ने अलग अलग समय मे एक ही स्थान पर सांसद का पुतला फुका और जमकर नारेबाजी कारते विरोध जाते। ब्लाक कांग्रेस कमेटी गंडई में पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों की गुट बाजी खुल कर सामने आया। सांसद पांडे के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी ब्लाकों में पुतला दहन करने का निर्देश जारी किया गया था जिसके मुताबिक गंडई ब्लाक अध्यक्ष रमेश साहू के नेतृत्व में कल शाम चार बजे मेन चौक में पुतला दहन करने की जानकारी सभी पदाधिकारियो को शोशल मीडिया के माध्यम से दिया गया था। मगर उसी दिन दोपहर को तकरीबन 12 बजे पूर्व ब्लाक अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बार पुतला दहन कर दिया गया जिसमें राजमहंत महेश दास रात्रे, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष साकेत दुबे, प्रदेश किसान कांग्रेस महामंत्री रणजीत सिंह चंदेल,किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेन्द्र मंडावी,शितलाल रजक ब्लॉक उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस, जिला युवा कांग्रेस के महासचिव दिलीप ओगरे, खैरागढ़ विधानसभा अध्यक्ष मोहसिन खान, गंडई ब्लॉक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शुभम बघेल,गंडई ब्लॉक शहर अध्यक्ष यूथ कांग्रेस सूरज नामदेव, कुंभलाल धुर्वे,उत्तम जंघेल, आत्माराम वर्मा, दिनेश रजक पेंडरवानी, सोशलमीडिया प्रभारी अमित टंडन आदि उपस्थित थे।

**कार्यालय, नगर पालिक निगम**
**जोन क्र. 7, रायपुर**
मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

**//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //**

नामांतरण प्र.क्र. 185/2020-2021
वार्ड का नाम- संतराम दास- 25

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि संत रामदास वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 25/ नया (कृष्णानगर गली) जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती रागनी ना.बा. लक्ष्मी, रीना, बिटावन पिसरान दशरथलाल वर्मा के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती रीना वर्मा पिता दशरथलाल वर्मा ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
सूचना जाने।

जोन कमिश्नर
जोन क्र.-07
नगर पालिक निगम, रायपुर

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.)**

**ईश्तहार**

sdorsaja@gmail.com
क्र./14/प्र.3/अ.वि.अ./2021
साजा, दिनांक 08.01.2021

**विषय :- भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत्।**

विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक श्री हीरामन सिन्हा पिता रामनाथ सिन्हा निवासी ग्राम चोरभट्ठी तहसील साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.) अपने भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम बिरनपुर प.ह.नं. 14 स्थित भूमि ख.नं. 1561/3 रकबा 0.02 हेक्ट. भूमि को आवासीय सह व्यवसायिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तित करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं। आवेदित भूमि का बी-1, नक्शा खसरा इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आप अपने विभाग की आपत्ति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आपत्ति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपकी मौन स्वीकृति मानकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय में पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

सील
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
साजा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

**कार्यालय संपदा अधिकारी**
**छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन**
**प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)**
email ID: eocghbzone5@gmail.com

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी सेजबहार, जिला रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत एलआईजी भवन क्र.-342, श्री राजा मुखर्जी पिता स्व. श्री एस.पी. मुखर्जी के नाम पर इस कार्यालय के आबंटन आदेश क्र. 5646 दिनांक 28.10.2006 के माध्यम से एकमुश्त आधार पर आबंटित है। आबंटी द्वारा उक्त भवन का पूर्ण मूल्य जमा कर दिनांक 13.08.2010 को सेलडीड निष्पादित करा लिया गया है। वर्तमान में आबंटी श्री राजा मुखर्जी पिता स्व. श्री एस.पी. मुखर्जी पता- म.नं.-115, प्रोफेसर कालोनी, स्ट्रीट नं.-02, सेक्टर 01, शक्ति माता मंदिर के पास, भाठागांव, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को दानग्रहिता श्री अनिरूद्ध मुखर्जी पिता श्री आलोक मुखर्जी पता- म.नं. 23 बी केमिकल डिवीजन केमिकल स्टाफ कालोनी, बिरलाग्राम नागदा, तहसील व जिला-उज्जैन (म.प्र.) के नाम पर उपहार अनुमति हेतु आवेदन पत्र, इकरारनामा एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन को दानग्रहिता श्री अनिरूद्ध मुखर्जी पिता श्री आलोक मुखर्जी, के नाम पर उपहार हेतु अनुमति प्रदान किया जाना है।

अतः उक्त भूखण्ड/ भवन को उपहार करने की अनुमति प्रदान किए जाने पर किसी भी व्यक्ति, शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो, इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

## प्रथम पृष्ठ का शेष...

**प्रदेश में अब तक...**

दिए जा रहे है। जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है और सर्विलांस टीम लगातार स्थिति पर निगरानी रख रही है।

**ट्रम्प को हटाने...**

बुधवार को ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग की आगे बढ़ायेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की 1963 में हत्या के बाद 1967 में 25वां संशोधन किया गया था जो मृत्यु, निष्कासन, त्यागपत्र या अक्षमता की स्थिति में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को बदलने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। इस संशोधन का इस्तेमाल 1974 में किया गया था जब राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के वाटरगेट घोटाले के बीच इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ने उनकी जगह ली थी।

**उधर श्रीनगर में...**

हालांकि सूरज के निकलने से लोगों को राहत मिली। शहर में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) और अन्य संबंधित विभाग अधिकतर गलियों तथा अंदर की सड़कों से बर्फ नहीं हटा पाए हैं। फिसलन के कारण वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। पानी जमने और सड़कों पर फिसलन होने के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। फिसलन की वजह से कई लोग गिरकर चोटिल हो गए। मुख्य सड़कों को जोड़ने वाली अधिकांश सड़कें और गलियों से बर्फ नहीं हटाई गई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि उसने 80 के दशक में ऐसी स्थिति नहीं देखी है। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि आमतौर मौसम साफ रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान श्रीनगर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः छह और शून्य से सात डिग्री सेल्सियस नीचे रहने के आसार है।

**दिल्ली में सीबीएसई 10वीं...**

के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, काउंसिलिंग आदि के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी जा रही है।अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा।बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।' सरकार से इस संबंध में एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है जिसका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। कौन से बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रखना होगा मगर इसे हाजिरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

**कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)**
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

**//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //**

नामांतरण प्र.क्र. 208/20-21
वार्ड का नाम- शंकर नगर-30

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शंकर नगर 30 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 30/39/एलआईजी शंकर नगर सेक्टर-1 जो कि निगम अभिलेख में श्री फूलचंद देशलहरा s/o स्व. चम्पालाल के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती लतादेवी शर्मा w/o चन्द्रप्रकाश शर्मा s/o स्व. गजाधर प्रसाद रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 13/01/21
जोन आयुक्त
जोन क्रमांक-3
नगर पालिक निगम, रायपुर

**कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)**
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

**//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //**

नामांतरण प्र.क्र. 204/20-21
वार्ड का नाम- महात्मा गांधी-12

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी 12 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 22/427 पंडरी जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती इंदिराबाई धीवर पति सालिकराम धीवर के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती इन्दु कनौजे पति तारणसिंह कनौजे रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 13/01/21
जोन आयुक्त
जोन क्रमांक-3
नगर पालिक निगम, रायपुर

**कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, सुकमा (छ.ग.)**
**संक्षिप्त मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना**

निविदा क्रमांक 14/त.शा./का.अ./लो.स्वा.यां./खण्ड, सुकमा, दिनांक 06/01/2021

छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित सामग्री प्रदाय के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मुहरबंद निविदाएं प्रपत्र सी में सामग्री के निर्माता एवं अधिकृत विक्रेताओं से दि. 22.01.2021 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 18.01.2021।

| स. क्र. | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (रु. लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला सुकमा को एन.ए.बी.एल. मानक अनुसार जल परीक्षण कार्य हेतु उपकरण एवं अन्य आवश्यक सामग्री का प्रदाय कार्य। | 10.72 |

**टीप :-** उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

जी-86228/3
कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
सुकमा, छत्तीसगढ़

**छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग कवर्धा वनमंडल, कवर्धा (छत्तीसगढ़)**
**नीलाम की संक्षिप्त सूचना**

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कवर्धा वनमंडल कवर्धा के अंतर्गत अ. डिपो लालपुर खैरबना (कवर्धा) में एकत्रित ईमारती काष्ठ का नीचे दर्शित तिथि एवं समय में नीलाम किया जावेगा। इच्छुक क्रेता नीलाम में भाग ले सकते हैं। नीलाम की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नीलाम दिनांक - 21.01.2021
नीलाम स्थल - कवर्धा डिपो
समय - 10.00 बजे प्रातः से

**वनोपज की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार है**

| प्रजाति | नया काष्ठ | | | अनबिके काष्ठ | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | घ.मी. | बल्ली | डेंगरी | घ.मी. | बल्ली | डेंगरी | घ.मी. | बल्ली | डेंगरी |
| सागौन | 6.078 | 431 | 163 | 11.869 | 18 | 29 | 17.947 | 449 | 192 |
| साल | 34.712 | 227 | - | 20.905 | - | - | 55.617 | 227 | - |
| बीजा | 1.699 | 5 | 10 | - | - | - | 1.699 | 5 | 10 |
| तिंसा | 3.176 | 118 | 6 | - | - | - | 3.716 | 118 | 6 |
| साजा | 12.140 | 201 | - | - | - | - | 12.140 | 201 | - |
| ह.मु. | 4.083 | 33 | - | - | - | - | 4.083 | 33 | - |
| धावड़ा | 7.252 | 173 | - | 5.325 | - | - | 12.577 | 173 | - |
| स. मोदे | 8.294 | 7 | - | - | - | - | 8.294 | 7 | - |
| अन्य | 15.373 | 318 | - | 4.079 | - | - | 19.452 | 318 | - |
| **योग :-** | **92.807** | **1513** | **179** | **42.178** | **18** | **29** | **134.985** | **1531** | **208** |

**टीप :-** वर्ष 2021 का व्यापारी पंजीयन प्रमाण पत्र PAN No./GST No. प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व नीलाम की शर्तों का पालन करने के करार के प्रतीक स्वरूप विक्रय सूचना पर हस्ताक्षर करना होगा तथा प्रत्येक लाट के संबंध में बोली लगाने के पूर्व जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता है, उसके 10% के बराबर या 1000/- रु. इनमें से जो अधिक हो, बयाने की राशि जमा करना होगा।

जी-86267/6
वन मंडलाधिकारी
कवर्धा, वनमण्डल कवर्धा

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

नवप्रदेश
गरियाबंद/साजा/गंडई/लवन/नगरी/देवभोग
रायपुर, गुरुवार, 14 जनवरी 2021


न्यूज गैलरी

## क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन में पहुंचे पूर्व जिलाध्यक्ष नवाज खान

**गंडई पंडरिया।** ग्राम पेंडरवानी में राजीव गांधी टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित किया गया था।जिसका समापन 10 जनवरी रविवार को हुआ।

फाइनल मैच पेंडरवानी और ओटेबंन के बीच खेला गया।जिसमें ओटेबन की टीम विजयी रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नवाज खान, गिरवर जंघेल,विशिष्ट अतिथि महेश दास रात्रे लियाक़त अली अय्यूब कुरैशी भीगेश यादव सूरज नामदेव उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विजेता को नवाज खान ने प्रथम पुरस्कार 20हजार दिया गया। वही दूसरा पुरुस्कार 10हजार व शील्ड प्रदान किया गया। वही विजेता टीम को कप पूर्व सरपंच व्यास राम साहू के द्वारा दिया गया।वही मैन ऑफद सीरीज युवा कांग्रेस के शोसल मीडिया संयोजक दिनेश द्वारा दिया गया। वही कार्यक्रम में पहुँचे मुख्य अतिथि खान ने कहा कि अगर खुद को स्वस्थ रखना है तो खेलना जरूरी है।क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो आपकी सेहत से जुडे कई दिक्कते दूर हो सकती है ।कार्यक्रम मंथ एवन जंघेल,जफरउल्लाह खान,आत्मा वर्मा,मीडिया प्रभारी अमित ,दिनेश रजक रामानुज रजक सरपंच इमरान खान,जस्सी महिलांगे,खुमेश बंजारी,विक्की टंडन,इजराईल खान,निरंजन धनकर,महावीर वर्मा, संजय रजक,जित्तू ठाकुर,जनेराम पटेल,ब्यास वर्मा सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।

## शुद्ध पेयजल हेतु जल परीक्षण की सुविधा

**गरियाबंद।** आम जनता को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके इसके लिए पीएचई विभाग द्वारा जल परीक्षण कराने की सुविधा दी गई है। जल जीवन मिशन द्वारा जल गुणवत्ता की जांच और ग्रामीण जनता को दीर्घकालिक निरंतर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसे ध्यान में रखते हुए आमजनता को जल परीक्षण कराने अपील किया गया है। कार्यपालन अभियंता ने बताया कि जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिसर गरियाबंद रावनभाठा के सामने में जल के 16 पैरामीटर के परीक्षण हेतु 600 रूपये के निर्धारित शुल्क देकर किया जा सकता है। इस संबंध में मोबाईल नम्बर 8770244955 व 700356155 में सम्पर्क किया जा सकता है।

## छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक 14 जनवरी को गरियाबंद में

**गरियाबंद।** छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक 14 जनवरी को गरियाबंद जिले के प्रवास पर रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉ. श्रीमती नायक 14 जनवरी 2021 को प्रातः 09 बजे रायपुर से कार द्वारा प्रस्थान कर प्रातः 10.30 बजे विश्राम गृह गरियाबंद पहुंचेंगे। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। सुनवाई पश्चात शाम 06 बजे विश्राम गृह में आमजनों से मुलाकात करेंगी। वे शाम 07 बजे कार द्वारा गरियाबंद से रायपुर प्रस्थित होंगे।

## एक दिवसीय धरना प्रदर्शन

**गुण्डरदेही।** भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आहवान पर जिला संगठन के निर्देशानुसार एक दिवसीय विधान सभा स्तरीय धरना प्रदर्शन धमतरी चौक गुण्डरदेही में किया जाना है भाजपा द्वारा विभिन्न मांगो को लेकर जैसे, गिरदावरी में काटे गए रकबा जोड़ने, तत्काल बारदाना की व्यस्था करना, घोषणा पत्र के अनुसार दो साल की बोनस देने, धान खरीदी का समय एक माह बढ़ाने इत्यादि अवस्था के विरोध में धरना प्रदर्शन दिनांक 13 जनवरी को रखा गया है इस धरना प्रदर्शन में किसानों एवं भाजपा कार्य कर्ताओं शामिल होने के लिए अपील की गई हैं। अपील करने वालो में जिला अध्यक्ष के सी पवारविधान सभा स्तरीय धरना कार्य क्रम के प्रभारी जिला भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश यदु, वीरेन्द्र साहू पूर्व विधायक, राजेन्द्र कुमार राय पूर्व विधायक, दीपक तारा चंद साहू, प्रमोद जैन, किशोरी साहू, लेखराम साहू,मोहन जैन,ठाकुर राम चंद्राकर, संध्या भरत दवाज, इंद्रपाल सिंह चंद्राकर, चेमन देशमुख, मण्डल अध्यक्ष दुष्यन्त कुमार सोनवानी, टिनेश्वर बघेल, प्रणेश जैन, महामंत्री गण सेवक महीपाल, थानसिंह मंडावी, जीतू विश्वास गुप्ता, पवन सोनवर्षा, सुरेश केश रवानी, निरंजन साहू, राजु अग्रवाल, पुष्पेंद्र चंद्राकर, मोंटी नितेश यादव, डॉ तेजराम साहू, टोमन साहू, रानू हेमन्त सोनकर, भानुमति साहू,पोषण बनपेला, निर्मला हेमंत साहू, रमेश सोनवानी,कोमल सोनकर जीवन सोनकर, हरीश कतझरे,शिव धरम गुडे,मालती जोशी, सालिक देशमुख आदि ने अधिक से अधिक संख्या में किसानों, कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है

## संसदीय सचिव साहू ने डमरू में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया, मड़ई मेला में शामिल हुई

**लवन।** ग्राम डमरू में विभिन्न निर्माण कार्यो की लोकार्पण एवं मड़ई मेला के कार्यक्रम में सुश्री शकुन्तला साहू संसदीय सचिव एवं विधायक कसडोल शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करती हुवी सुश्री शकुन्तला साहू ने गांव में गौठान बन जाने से गौमाता को गौठान मे रखेंगे जिससे किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी। सरकार गो धन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रु किलो में पशुपालकों से गोबर खरीद रही है। जिससे वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जायेगा जिसमे हमारे महिला स्व सहायता की बहनों को कार्य मिलेगा उनसे लाभ होंगी रासायनिक खाद का उपयोग नही होगी। वही उप स्वास्थ्य केंद्र खुल जाने से अनिवार्य चिकित्सा का लाभ ग्रामीणों को मिलेगा।

# गरियाबन्द सचिव संघ और ग्राम रोजगार सहायक 20 जनवरी तक क्रमिक रूप से भूख हड़ताल पर

**गरियाबंद।** मंगलवार को प्रान्तीय आव्हान पर जिला मुख्यालय गरियाबन्द मे पंचायत सचिव संघ और ग्राम रोजगार सहायक संघ द्वारा लगातार 17 दिनो से अनवरत काम बंद कलम बंद हड़ताल जारी है तरह तरह के अनोखे तरिको से शासन प्रशासन के समक्ष अपनी मांगो को रख रही लेकिन आज पर्यन्त शासन के द्वारा सचिव संघ की उक्त मांगो को अनदेखा किया जा रहा है ।

शासन द्वारा कोई भी सकारात्मक जबाव नही दिया जा रहा है जिसके चलते गरियाबन्द सचिव संघ और ग्राम रोजगार सहायक संघ द्वारा विवशता पुर्वक 20 जनवरी तक क्रमिक रुप से भुख हड़ताल का आगाज ब्लाक अध्यक्ष अनुज ठाकुर ने किया जिसमे आज भागीरथी सिन्हा,ब्लाक सचिव संतराम सिन्हा,रोजगार सहायक संघ अध्यक्ष दिनेश कश्यप,उत्तम

निर्मलकर,शंकरलाल शामिल थे जिसके लिये पुर्ण रुप से शासन प्रशासन जिम्मेदार है... ! इस अवसर पर पंचायत सचिव संघ गरियाबन्द के पदाधिकारी गण ब्लाक अध्यक्ष अनुज ठाकुर जिला सहसचिव दिलिप खरे संरक्षक होरीलाल शर्मा, सचिव संतराम सिन्हा, किशन साहु, लोकसिन्हे यादव, तिजु चौहान, शत्रुघन साहु, द्वारिका राठौर,परमेश्वर ठाकुर, कन्हैयालाल ध्रुव, गीताराम मरकाम उमाशन्कर नागेश, निशा पटेल, सुभान्गी उपाध्याय, चन्द्रिका नेताम, रोशन साहु, भगवती ध्रुव,चैतराम साहु, शिवरतन नेताम,बलराम पटेल, रोजगार सहायक संघ से ब्लाक अध्यक्ष दिनेश कश्यप उपाध्यक्ष शंकरलाल,सचिव आशकरण निषाद, कोषाध्यक्ष यशवंत साहु, योगेंद्र यादव, दयावती साहु,इंदिरा पटेल,डायमण्ड,चित्ररेखा,रोमन विश्वकर्मा, निलकन्ठ, घनश्याम साहु, पायल खापर्डे, दुलेश्वर, भेश्वर ओमप्रकाश, उत्तम और अन्य सचिव,रोजगार सहायक साथी उपस्थित थे ! यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी कंचन कुमार नायक द्वारा दी गई।

# देवभोग और मैनपुर क्षेत्र में मक्का खरीदी प्रांरभ

### कलेक्टर ने की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा

नवप्रदेश संवाददाता

**गरियाबंद।** जिले के देवभोग और मैनपुर अनुभाग अंतर्गत सहकारी समितियों के उपार्जन केन्द्रों में मक्का खरीदी प्रारंभ हो गई है। शासन द्वारा निर्धारित 1850 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर किसानों से मक्का की खरीदी की जायेगी। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने मक्का खरीदी पश्चात भण्डारण, परिवहन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था हेतु डीएम नान को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि समितियों में मक्का खरीदी हेतु जिला नोडल अधिकारी अपने उपस्थिति में किसानों का टोकन कटवायें। कलेक्टर ने कहा कि मक्का बिक्री के लिए पंजीयन हेतु छुटे किसानों का सूची बनाई जाए। ऐसे किसानों से मक्का खरीदी हेतु शासन से अनुमति ली जाएगी।

मक्का विक्रय के संबंध में किसानों को किसी प्रकार के शिकायत होने पर वे खाद्य विभाग के नियंत्रण कक्ष दूरभाष नम्बर 07706-241424 और पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 112 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने आज अधिकारियों के समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने जिले के कतिपय धान खरीदी केन्द्रों में तौल में गड़बड़ी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला नोडल अधिकारियों को संबंधित उपार्जन केन्द्र के धान खरीदी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यो पर सभी अधिकारी अच्छा कार्य करें। अधिकारियों को जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा। कलेक्टर ने जिले में रेत खदान प्रारंभ करने सभी एस.डी.एम से ऐसे ग्राम पंचायत जहां से रेत खदान प्रारंभ करने सकारात्मक पहल नहीं हुआ है, उन खदानों के लिए ग्राम पंचायत का सकारात्मक अभिमत लेने के निर्देश दिये। इसी प्रकार उद्योग स्थापना हेतु भी संबंधित ग्राम पंचायत से स्वीकृति पत्र उद्योग विभाग को उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को सीमांकन, बटवारा, नामांतरण के प्रकरण समय पर निपटाने और आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कार्यो को विभागीय बजट में शामिल कराने सूची विभाग को उपलब्ध कराने कहा। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने आगामी दिनों में जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभागों से लोकार्पण, भूमिपूजन की जानकारी, शासन के प्राथमिकता वाले गौठान, नरवा के कार्य, शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल, बांशशिल्प प्रशिक्षण, विभागीय प्रदर्शनी व सामग्री वितरण एवं अन्य तैयारियां अभी से पूरी कर ली जाए। बैठक में अपर कलेक्टर जे.आर. चैरसिया, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व के उप निदेशक आयुष जैन, डिप्टी कलेक्टर त्रप्ती ठाकुर एवं सूरज कुमार साहू सहित समस्त जिला अधिकारी उपस्थित थे।

## लोलेसरा के संत समागम मेला हेतु अधिकारियों को सौंपा गया दायित्व

**बेमेतरा।** पंथ श्री उग्रनाम साहब स्मृति संत समागम मेला 15 एवं 16 जनवरी को ग्राम लोलेसरा मे आयोजित है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने कानून व्यवस्था को ध्यान मे रख कर जिले के अधिकारियों को दायित्व सौंपा है। जारी आदेश के अनुसार दुर्गेश कुमार वर्मा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधीक्षक/नियंत्रण अधिकारी (पंथ श्री उग्रनाम साहब स्मृति संत समागम मेला) कानून व्यवस्था एवं प्रोटोकॉल संबंधी दायित्व एवं मेला स्थल पर आवश्यक तैयारी हेतु समन्वयक अन्य विभाग।

# भाजपाइयों द्वारा 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन, सरकार के अव्यवस्था वादाखिलाफी के खिलाफ की नारेबाजी

नवप्रदेश संवाददाता

**नगरी।** भारतीय जनता पार्टी सिहावा विधानसभा के तत्वधान में कांग्रेस सरकार द्वारा धान खरीदी में अव्यवस्था व किसानों के साथ वादाखिलाफी के विरोध में 13 जनवरी बुधवार दोपहर में स्थान बजरंग चौक नगरी में प्रमुख मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाएगा जिसमें गिरदावरी में काटे गए रघबा को जोड़ना तत्काल बारदाना की व्यवस्था करने किसानों के धान का 3 दिन में भुगतान करने धान

खरीदी का समय एक माह बढ़ाने घोषणा पत्र के अनुसार 2 साल का बोनस देने वन अधिकार पट्टा प्राप्त कर वनवासियों का धान खरीदने धान खरीदी मैं अव्यवस्था के कारण कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को 25 लाख सहायता राशि देने के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर दिन बुधवार को बजरंग चौक पर धरना प्रदर्शन सथल में मुख्य वक्ता के रूप में धमतरी विधायक मंत्री पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा सिहावा विधायक पिंकी शिवराज सिंह एवं श्रावण मरकाम ने सरकार को उदबोधन में कोसा गया उसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन स्थल बजरंग चौक से मेन रोड बस स्टैंड से सरकार के वादाखिलाफी के खिलाफ नरे लगते जाते दिखाई दिया साथ एसडीएम कार्यालय में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया

## पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों की मांग पूरी नहीं होने पर धरना स्थल पर अब सचिवों ने शुरू की भूख हड़ताल

**नगरी।** सभी ब्लॉक मुख्यालयों में सचिव 26 से एवं रोजगार सहायक संघ 31दिसम्बर से अपनी मांगों को लेकर काम बंद कलम बंद कर धरना पर बैठ गए है। मांग पर शासन का ध्यान नही है।नगरी विकास खण्ड पंचायत सचिव सघ व रोजगार सहायक सघ नगरी मुख्यालय रावण भाटा अपने मांग को धरण पर बैठे है साथ अब ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों के मांग पूरी नही हुई है। प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के आव्हान पर समूचे ब्लॉक इकाई पर जनप्रतिनिधियों से समर्थन, शासन-प्रशासन को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ, भीख मांगकर शासन के कोष में संग्रहित धन जमा करना, ब्लॉक मुख्यालय में थाली, नगाड़ा, टीपा बजाकर हल्ला करना और समस्त धरना प्रदर्शन स्थल पर भैस लाकर उनके आगे बिन बजाने जैसे कार्यक्रम रूपरेखानुसार नियत तारीख में कर चके है। संगठन अब आंदोलन को उग्र कर क्रमिक भूख हडलाल चालू कर दी है।उल्लेखनीय है कि प्रदेश ग्राम सचिव संगठन के आव्हान पर मांग पर शासन का ध्यान नही है।जिसमें आज दिन मंगलवार से 20 जनवरी भूख हड़ताल चालू कर दी है। जिसमें मे पहले दिन मंगलवार को सचिव संघ के तरफ से कैलाश साहू, खिलानंद नवरंग, विनोद साहू, बलराम चंदन, विष्णु नेताम व रोजगार सहायक संघ से होमराज साहू छिपलीपारा, परमेस्वर साहू अमाली, चेतन कश्यप गोरेगांव, पूनम चतुर्वेदी मुकुंदपुर, पूर्णिमा बंजारे हरदीभाठा भूख हड़ताल पर बैठे।

## किसानों के साथ किए धोखे का विधानसभा चुनाव में जनता देगी जवाब : गोवर्धन माझी

**देवभोग।** किसानों के हितो में काम करने वाली भूपेश सरकार आज गांव गांव के छोटे बड़े किसानों के साथ छलावा कर रही है। उपार्जन केंद्र पर बारदाना की कमी होने के चलते खरीदी नहीं हो पा रही है। और जिन किसानों ने धान बेचा है। उसका समय पर राशि नहीं मिल रहा। ऐसे में किसान अपनी हालत से जूझने के लिए मजबूर है। शायद यही वजह है कि हताश किसान भाजपा के साथ सड़क की लड़ाई लड़ रही है। उक्त बातें भाजपा द्वारा आयोजित धान का समर्थन मूल्य का भुगतान करने 2 वर्ष का बकाया बोनस जल्द देने के साथ किसानों का पूरा धान खरीदने सहित गिरदावरी में काटा गया रकबा को जोड़ने के अलावा अन्य मांग को लेकर धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी ने कहा माझी धरना प्रदर्शन में मौजूद कार्यकर्ता एवं किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह भूपेश की नीति नियत ने प्रदेश के मजदूर युवा किसान सहित तमाम वर्ग के लोगों को निराश किया है। उसका जवाब जनता 2023 के विधानसभा चुनाव मैं देगी क्योंकि 2 साल मैं कईयों बार कर्ज़ लेने के बाद भी भूपेश सरकार जरूरत की जगह पर पुलिया तक नहीं बना पा रही है। फिर भी छत्तीसगढ़िया होने का दम भर रही है । मगर इस खोखली दम से प्रदेश के ढाई करोड़ जनता अच्छी तरह अवगत हो चुके हैं।

## पंचायत सचिवों को नियमित करे राज्य सरकार : अवधेश चंदेल

**बेमेतरा/बेरला।** सचिव संघ शासकीय करण की मांग को लेकर ÷काम बंद कलम बंद 'कर अनिश्चित कालीन हड़ताल प्रारंभ कर दिए है। 15 दिनों से ज्यादा दिन हो गए पर भी सरकार की ओर से कोई संकेत नही मिला है। कही हड़ताल में सरकार को जगाने सचिवों ने भैंस के आगे बीन बजाकर तो कही भीख मांग कर नाराजकी व्यक्त कर रहे है। इस सचिव संघ के हड़ताल को समर्थन देने बेरला पहुँचे पूर्व विधायक अवधेश चंदेल। इस अवसर पर अवधेश चंदेल ने कहा कि शासन की योजना जन्म मृत्यु या विवाह पंजीयन हो चाहे नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी हो या पेंशन और अन्य योजना सारी योजनाओ को जो प्रदेश और केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्यवयन कराने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव को ही मिलती है कार्य हमारे पंचायत सचिव ही करते है, जो हड़ताल में बैठे हुए है। इस कारण ग्राम स्तर पर ग्रामीण भटक रहे ग्रामीण जनों का काम प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा अपने चुनावी जन घोषणा पत्र में भी किया था लेकिन किसी संविदा कर्मियों को नियमितीकरण नही किया गया है।

## ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता भिभौरी के उद्घाटन समारोह में पहुंचे योगेश तिवारी

**बेमेतरा।** बेरला ब्लॉक के ग्राम भिभौरी में को ग्रामीण क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस दौरान किसान नेता योगेश तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे व बल्लेबाजी कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच भिभौरी और राजनांदगाँव के मध्य हुआ । समारोह को संबोधित करते हुए किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों के अंदर छिपी वो प्रतिभाएं बाहर निकल कर सामने आनी चाहिए। आज क्रिकेट को लेकर हम जितने नाम सुनते है चाहे सौरभ गांगुली, विराट कोहली की बात हो या सचिन तेंदुलकर की बात हो सभी ने गली मोहल्लों मे खेल कर नाम कमाया।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.293 दिनांक 11.01.21
वार्ड का नाम वार्ड- वामनराव लाखे-66

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-66 कुशालपुर स्थित भूमि 66/1103 कि निगम अभिलेख में श्री किशनलाल सिन्हा पिता श्री अलेनराम सिन्हा के नाम से दर्ज है जिसको श्री सुरेश कुमार सिन्हा पिता श्री किशनलाल सिन्हा ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.287 दिनांक 07.01.21
वार्ड का नाम वार्ड- भक्त माता कर्मा-67

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-67 स्थित भवन नया करन नगर कि निगम अभिलेख में श्रीमती बरखा अग्रवाल पति श्री तुषार अग्रवाल के नाम से दर्ज है जिसको श्रीमती आशा पाण्डेय पति श्री सुभाष पाण्डेय ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
शाखा : भिलाई (छ.ग.)
Central Bank of India
Branch : Bhilai (C.G.)

परिशिष्ट-4 नियम-8 (1) कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

यतः अधोहस्ताक्षरी ने जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 का अधिनियम के अधीन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी हैं, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधार लेने वाले को निम्नलिखित तिथि को एक मांग नोटिस में उल्लेखित रकम तथा उस पर ब्याज उक्त नोटिस प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रतिदाय करने की मांग करने के लिए जारी की थी। उधार लेने वाले द्वारा रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, उधार लेने वाले और जनसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दिनांक को इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधार लेने वाले को विशिष्ट रूप से और जनसाधारण को इसके द्वारा सावधान किया जाता है कि वह इस संपत्ति से संबंधित कोई व्यवहार न करें एवं यदि करता है तो वह निम्नलिखित देय धनराशि तथा उस पर देय ब्याज तथा व्यय के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रभार के अधीन होगा।

देनदार का ध्यान रक्षित संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय हेतु अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

| क्र. सं. | उधारकर्ता/जमानतदार का नाम पता एवं शाखा | संपत्ति का विवरण | मांग सूचना की राशि/दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता का नाम- श्री अभिमन्यु अग्रवाल और श्रीमती मंजू लता अग्रवाल पति का नाम- श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल । दोनो का निवास- ईडनफ्लूस 306, वैशाली नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) शाखा: भिलाई (छ.ग.) | श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल के नाम पर ग्राम- चिताझोर, चिरीमिरी, बैकुंठपुर, कोरिया, विक्रय विलेख संख्या- 1149 दिनांक 12.03.2014 के आधार पर, खाता सं. 109, प.ह.नं. 10, खसरा नं. 97/5, क्षेत्रफल- 0.210 हेक्टेयर में स्थित वाणिज्यिक संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश चौहद्दी: उत्तर- लाल बहादुर का मकान, दक्षिण- राम प्यारे की भूमि, पूर्व- मेन रोड चिरीमिरी, पश्चिम- खेम बहादुर का मकान । | ₹ 29,05,505.00 उस पर देय ब्याज तथा व्यय दिनांक 30.12.2019<br>कब्जा लेने की तारीख<br>08.01.2021 |

दिनांक : 09.01.2021, स्थान : चिरीमिरी (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Office of the Executive Engineer (E/M) Division,
Public Health Engineering Department, Raipur (C.G.)
Email id:- emeerpr-phe-cg@gov.in
NIT No 04/2020/TS/EE/(E/M)/PHED/Raipur Dated. 11.01.2021

NOTICE INVITING TENDERS

Sealed tenders are invited on bhhalf of the Government of Chhattisgarh in Form "A" by Speed post only in two envelope system for the following works from eligible contractor having live "D" class and above registration in the Unified, Registration system.

| Group No. | Name of work | PAC (in Lacs) | Earnest Money (Rs.) | Cost of Tender Forms (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Supply and installation testing and commissioning of 5 H.P. three phase Submersible pumps with all allied works in 08 Nos. Resham Kendra of Korba District. | Rs. 8.32 Lacs | 6240.00 | 750.00 |
| B | Supply and installation testing and commissioning of 3 H.P. three phase Submersible pupms with all allied works in 01 Nos. Resham Kendra of Korba District. | Rs. 1.00 Lacs | 2000.00 | 300.00 |

Last date of Receipt of Application for issue of Tender documents :- 23.01.2021 5.30 PM
Last Date of Sale of Tender Documents :- 25.01.2021 5.30 PM
Last Date of Receipt of Tender Documents :- 30.01.2021 5.30 PM
Date of Opening of Tender :- 01.02.2021 3.00 PM
Time allowed :- 14 Days from the date of issue of work order.

Terms and Conditions :-
1. This Short NIT is also available in the P.H.E. Department website http://tenders.gov.in
2. In case of any of the says mentioned above, beiing public holiday, the next working day shall apply.

G-86258/3

Exective Engineer (E&M) Dn
Public Health Engineering Department
Raipur (C.G.)

# मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर 34 लाख रुपए की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार

*नवप्रदेश संवाददाता*

**पखांजूर ।** पुलिस अधीक्षक कांकेर एम आर आहिरे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में विवेचना के दौरान थाना पखांजूर पुलिस द्वारा मेडिकल कालेज दाखिला पर के नाम पर पखांजूर के महिला से 3400000 रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में अति महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया शिखा दास जो कि कापसी स्कूल में शिक्षिका हैं ने थाना पखांजूर में अपराध दर्ज कराया था कि वर्ष 2018 में प्रार्थिया का फोन पर संपर्क मेडिकल काउंसलर से हुआ था जिसने अपने को मेडिकल काउंसलर तथा मंत्रालय में पहुंच बता कर पीड़िता के 02 बच्चों को मैनेजमेंट सेन्ट्रल पुल कोटा में बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के का आश्वासन देकर 3400000 रुपए की ठगी कर ली है प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 02/20 धारा 419,420 भादवि 66 (घ) आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था विवेचना में घटना में संलिप्त आरोपी दीपक चटर्जी पिता स्व विश्वनाथ चटर्जी उम्र 50 वर्ष निवासी दिल्ली , प्रभुदीप सिंह उर्फ अरविंद गंगवार पिता ब्रजपाल सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी बरेली ,जियाउल हक रहमानी पिता डा ए आर रहमानी उम्र 32 वर्ष निवासी गाजियाबाद को प्रोडक्शन वारंट पर हाजिर कर दिनांक 11/01/21 को गिरफ्तार किया गया तीनो आरोपियों ने देशभर में कई राज्यों में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेज में एडमिशन कराने का

झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करना स्वीकार किये है आरोपियों में से दीपक चटर्जी निवासी दिल्ली अपने को शैक्षणिक सलाहकार बताया तथा पूछताछ के दौरान बताया है कि वह 2008 से इस प्रकार के कृत्य में संलिप्त रहा है 2013 में जेल भी जा चुका है ,तथा आरोपी जियाउल हक रहमानी एमबीबीएस डॉक्टर है रूस से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त किया है, तथा आरोपी प्रभु दीप सिंह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है सभी आरोपी हाईप्रोफाइल लोगों को मैनेजमेंट कोटा पर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की लाखों रुपए के ठगी की करना स्वीकार किए हैं आरोपी ने प्रार्थी के दोनो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे आरोपी द्वारा किसी प्रकार से उनका संपर्क नंबर ज्ञात कर प्रार्थिया से संपर्क किया और दोनों बच्चों को बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का झांसा दिया आरोपीगण प्रार्थिया से वीडियो कॉल पर बात करते थे और अपने को मिनिस्ट्री के संपर्क में होने का दावा कर सेंट्रल पूल कोटा से प्रार्थीया की दोनों बच्चों का मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने की बात बोल कर जून 2019 से सितंबर 2019 के दौरान विभिन्न माध्यम कुल 34 लाख रुपये की ठगी किये थे।उसके बाद से आरोपियों ने प्रार्थिया से संपर्क तोड़ लिया था, प्रार्थीया अपने बच्चों मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए आरोपियों से संपर्क करने का बहुत प्रयास किया परंतु आरोपीगणो ने अपने मोबाइल नंबर बंद कर लिए और अंडर ग्राउंड हो गए थे प्रार्थिया शिखा दास उसके बाद मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु जाकर पता किया जहां यह ज्ञात हुआ कि उक्त नाम के व्यक्तियों से कॉलेज का कोई संबंध नहीं है तथा प्रार्थी के बच्चों का कॉलेज में दाखिला प्रक्रियाधीन नहीं है शिखा दास ने जनवरी 2020 में थाना पखांजूर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों को गिरफ्तारी उपरांत माननीय न्यायालय पखांजूर में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कराया गया है। थाना पखांजूर की कार्यवाही।

# सीईओ हटाओ ब्लॉक बचाओ के नारे संग सरपंचों का अनिश्चिकालीन धरना

*नवप्रदेश संवाददाता*

**गरियाबंद।** जनपद पंचायत गरियाबंद के बाद अब छूरा जनपद क्षेत्र के सरपंच सीईओ से खफा है। नाराज सरपंच जनपद सीईओ को हटाने की मांग पर अड़े है। सरपंचों ने सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और धरने पर बैठ गए है। सरपंचों ने मांग पूरी नही होने तक अपना धरना प्रदर्शन जारी रखने का दावा किया है।

## सरपंचों के आरोप

सरपंचों ने सीईओ को लेकर 5 बिन्दुओ पर नाराजगी जाहिर की है। सरपंचों की पहली और सबसे बड़ी नाराजगी सीईओ द्वारा उनकी बात नही सुनने को लेकर है। सरपंचों का आरोप है कि वे जब भी कोई समस्या लेकर उनसे मिलने जाते है तो उन्हें लिखित में देने कह दिया जाता है। दूसरी बार जाने पर भी सीईओ व्यस्तता का हवाला देकर वही जवाब देती है। जिससे उनके काम नही हो पा रहे है।

सरपंचों का दूसरा आरोप सीईओ द्वारा फोन रिसीव नही करने को लेकर है। तीसरा आरोप आदिवासी और महिला सरपंचों से ठीक बर्ताव नही करने से जुड़ा है। चौथा आरोप निर्माण कार्यो के मूल्यांकन में जानबूझकर देरी करने और पांचवा आरोप निर्माण कार्यो की राशि का भुगतान करने में देरी को लेकर है।

## आदिवासी नेता एवं जनप्रतिनिधि का ब्यान

आदिवासी नेता एवं छूरा जनपद सभापति नीलकंठ ध्रुव ने बताया कि सरपंच जनपद सीईओ की शिकायत कई बार कर चुके है। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर प्रभारी मंत्री तक अपना दुखड़ा सुना चुके है। मगर किसी ने नही सुनी। तीन दिन का एल्टीमेटम भी दिया गया। उसके बाद भी जिमेमेदारो के कानों में जूं तक नही रहेगी। अंत मे सरपंचों को धरने पर बैठने मजबूर होना पड़ा। सभापति ने सरपंचों की मांगों को जायज ठहराया है।

## जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू बेहद नाराज

जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू जनपद सीईओ रुचि शर्मा की कार्यशैली से बेहद नाराज है। उनका कहना है कि काम को लेकर अधिकारी का सुस्त रैवया छूरा क्षेत्र के गांवो पर भारी पड़ रहा है। यही नही लक्ष्मी साहू इसको लेकर पहले भी सीईओ को हिदायत दे चुकी है। जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि वह सरपंचों के साथ है और उनकी मांगों का समर्थन करती है।

## सभी सरपंच एकजुट

धरने में अहम बात ये है कि सभी सरपंच एकजुट है। भाजपा समर्थित सरपंच यदि धरने पर डटे है तो सत्तापक्ष से ताल्लुक रखने वाले सरपंच भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे है। सरपंचों का आरोप है कि जनपद सीईओ की कार्यशैली के कारण पूरे छूरा ब्लॉक के गांवो को नुकसान हो रहा है। इसलिए वे राजनीति से ऊपर उठकर जनता के विकास के लिए धरने पर बैठे है।

## आदिवासी समाज का समर्थन

धरने पर बैठे सरपंचों को आदिवासी समाज का समर्थन भी प्राप्त है। सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष भरत दीवान ने स्वयं धरनास्थल पहुंचकर सरपंचों की मांगों को जायज ठहराते हुए अपना समर्थन दिया है। आदिवासी नेता और जिला पंचायत सदस्य फिरतुराम कंवर एवं जनपद सभापति नीलकंठ ठाकुर ने भी अपना समर्थन दिया है।

## अधिकारी मौन

धरने को लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे है। तीन दिन से धरना जारी है और सरपंच मांग पूरी नही होने तक अनिश्चिकालीन धरना जारी रखने की बात पर अडिग है। उसके बावजूद भी जिले के जिम्मेदारी अधिकारी ना तो मामले को सुलझाने में दिलचस्पी ले रहे है और ना ही सुलह की कोई कोशिश कर रहे है। ऐसे में धरने का सीधा असर क्षेत्र के विकास पर तो पड़ेगा ही जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच तल्खी भी बढ़ेगी।

### सफाई कार्य में लापरवाही बर्दास्त नहीं : ऋषि शर्मा

# अवैध रूप से संचालित दुकाने सील

■ नपाध्यक्ष ने वार्डो की सफाई व्यवस्था को लेकर दिये कड़े निर्देश

**कवर्धा।** वार्ड के नागरिक सफाई की शिकायत को लेकर नगर पालिका न पहुंचें, इससे पूर्व सफाई हो जाये इसका अवश्य ध्यान रखें। वार्डो की सफाई निरंतर करें, नालियों के उपर से पानी न बहे व सफाई कर्मचारी बिना अनुमति के अगर छुट्टी में जा रहे है लापरवाही कर रहे है तो उनका वेतन काटे व स्पष्टीकरण दें। सफाई में लापरवाही बर्दास्त नही होगी। उक्त बातें नगर पालिका अध्यक्ष आज राधाकृष्णा वार्ड क्रं. 20, बहादुर गंज वार्ड क्रं. 21 एवं महाराणा प्रताप वार्ड क्रं. 22 के निरीक्षण के दौरान कहा।

नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि नगर पालिका टीम द्वारा सभी वार्डो में मूलभूत सुविधाओं को लेकर निरंतर कार्य कर रहे है कार्य योजना तैयार कर नगर विकास किया जा रहा है इस कार्य में हम सब की भागीदारी आवश्यक है शहर का विकास हम सब मिलकर करेगें। वार्ड की समस्याओं का निपटारा वार्ड में ही हो ऐसा प्रयास नगर पालिका टीम द्वारा किया जा रहा है। उन्होनें वार्ड निरीक्षण के दौरान ही सब इंजीनियर, सफाई दरोगा व उपस्थित टीम की क्लास ली। सफाई संसाधन की कमी नही है सफाई पर विशेष ध्यान देवें। ऋषभ देव चैक से लेकर मिनीमाता चैक तक नाली के उपर निर्मित स्लेब को हटाकर विशेष सफाई अभियान चलाने सफाई दरोगा को निर्देश दिये। बरसात पूर्व सभी नालियों का साफ-सफाई किया जावे।

## अवैध कब्जाधारियों के दुकान सील

सरदार वल्लभ भाई पटेल व्यवसायिक परिसर के निर्मित दुकानों में आबंटित व्यक्तियों के अलावा कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अपना सामान रख दिया गया है जिसकी सूचना पर उपअभियंता विरेन्द्र नवघरे के साथ राजस्व टीम गठित कर 40 से उपर दुकान में सीलिंग कार्यवाही कर अपने कब्जे में लिया गया। इसी तरह सी ब्लाक काम्पलेक्स के उपर निर्मित दुकान की संपूर्ण दस्तावेज की जांच कर भवन निर्माण अनुज्ञा के विपरित बनाये गये दुकान संचालक को नोटिस देते हुए निर्माण को तत्काल हटाये जाने हेतु नोटिस व जुर्माना लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा के साथ सभापति नरेन्द्र देवांगन, भीखम कोसले, चुनवा खान, पार्षद अशोक सिंह, संतोष यादव, सुनील साहू, एल्डरमेन जाकीर चैहान, कृष्ण कुमार सोनी, कौशल कौशिक, बलदाउ चंद्रवंशी, अनिल साहू, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेश कुमार वर्मा, सहायक अभियंता एम.एल.कुर्रे, उपअभियंता, विरेन्द्र नवघरे, अजय सिंह ठाकुर, चंद्रिका ठाकुर, हुलास ठाकुर, बलबीर ठाकुर सहित वार्डवासीगण उपस्थित थे।

# जिले की घोषित रेत खदानों से हो रहा अवैध रेत परिवहन

### ठेकेदार व अधिकारियों की सांठगांठ से राजस्व नुकसान होने की चर्चा

*नवप्रदेश संवाददाता*

**कोण्डागाँव।** शासन की मंशा रेत व खनिज संपदा के अवैध उत्खनन पर अंकुश लगा शासन को हो रहे राजस्व के नुकसान को कम करना है, जिसके लिए शासन ने बाकायदा अधिकारी कर्मचारी नियुक्त कर रखा है।साथ ही रेत व अन्य संपदा के खदान नियमानुसार घोषित किये जाते है, ताकि इनके उत्खनन व उपयोग पर नियमानुसार शुल्क सासन को राजस्व के रूप में प्राप्त हो सके।

लेकिन जिले के घोषित रेत खदानों में ही अवैध रेत उत्खनन व परिवहन ठेकेदार व अधिकारियों के संरक्षण में धडल्ले से चल रहा है।मामले का उजागर तब हुआ जब एक फोन ऑडियो वायरल हुआ जिसमे ठेकेदार कह रहा है कि पिटपास व बगैर पिट पास के लेने से क्या फ़ायदे हैं वहीं ठेकेदार अधिकारियों के वर्किंग प्लान को बता रहा है कि कैसे गाड़िया बगैर पिट पास के परिवहन किया जाता है,व एक पिटपास परिवहन की पर्ची से कितनी ही गाड़िया अवैध परिवहन कर लेती हैं।जिससे लाखो करोडे के राजस्व का नुकसान शासन को पहुंचाया जा रहा है।

# प्रकृति की गोद में बसे जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सरोधा दादर में अब छत्तीसगढी व्यंजनों का लुत्फ ले रहे हैं पर्यटक

■ महिला समूह द्वारा बनाए जा रहे छत्तीसगढ़ी पकवान बना रहे पर्यटन को जायकेदार, उनकी आय का जरिया भी

*नवप्रदेश संवाददाता*

**कवर्धा।** जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सरोधा दादर (चिल्फी में) के पर्यटन केन्द्र में गायत्री महिला स्व. सहायता समूह के द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को परोस कर पर्यटन के अनुभव को और जायकेदार बना रहीं है। छत्तीसगढ़ी पकवान चैसेला, खुर्मी-ठेठरी, चिला, मुगोड़ी, भजीया जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद देश के अलग-अलग कोने से आए पर्यटकों को सरोधा दादर के रिसॉर्ट में मिल रहा है। मैकल पर्वत श्रेणी के सतपुड़ा रेन्ज के जंगल और पहाड़ियों में बसा सरोधा दादर जिले का प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र है। जहां पर छत्तीसगढ़ से ही नहीं वरन देश के अलग-अलग कोने से पर्यटक आ कर रूकते है। इसका विशेष महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सरोधा दादर राष्ट्रीय उद्यान कान्हा केसली के साथ भोरमदेव अभ्यारण के रेन्ज से लगा हुआ है। ऐसे स्थानों में हमेशा पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। जिनके सुविधाओं के लिए शासन द्वारा अनेकों प्रयास भी निरंतर किए जा रहे है। इसी क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत गायत्री महिला स्व. सहायता समूह के द्वारा छत्तीगढ़ व्यंजानों की सेवाएं पर्यटकों को दी जा रही है। इस काम से महिला स्व. सहायता समूह को बहुत ही बेहतर आमदनी होने लगा है। प्रति माह 12 से 15 हजार रूपए की आय इन्हें हो रही है।

समूह की अध्यक्ष श्रीमती धर्मिन बाई ने बताया कि सरोधा दादर रिसोर्ट में छत्तीसगढ़ी व्यंजन की मांग बनी रहती है। पर्यटकों को उनके इच्छा अनुसार छत्तीसगढ़ी व्यंजन गरमा-गर्म परोसा जाता है, जिसमें विशेष रूप से चैसेला, चिला आदि रहता है। कभी-कभी पर्यटकों द्वारा छत्तीसगढ़ी भोजन की भी मांग की जाती है। ऐसे पर्यटकों को चना भाजी, लाल भाजी, दाल, चावल, आचार, पापड़ के साथ खाना भी हमारे समूह द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि सप्ताह के तीन दिन शुक्रवार, शनिवार, एवं रविवार को पर्यटकों की ज्यादा भीड़ होती है एवं अन्य दिन भीड़ थोड़ी कम होती है। लेकिन समूह कि दस सदस्यी महिलाएं काम को आपस में बाट ली है। कोई रसोई का काम देखती है तो कोई सामग्रियों का लाना ले जाना करती है। प्रत्येक माह 12 से 15 हजार रूपए की आमदनी होता है ज्यादातर कमाई छुट्टियों के दिनों में होती है। हम सभी समूह की महिलाएं खुश है की हम अपना काम कर रहें है। हाथ में आपना व्यवसाय है और इससे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए घर में पैसे आ रहें है। व्यवसाय खड़ा करने के लिए लगने वाले गैस चुल्हा, सिलेन्डर, कढ़ाई तवा जैसे अन्य आवश्यक सामग्री बिहान के तहत लोन लेकर पूरा किया है।

### जिले के प्रमुख स्थानों के बाद अब पर्यटन स्थल में लोगों को मिल रहा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद : सीईओ दयाराम

जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय दयाराम के. ने बताया कि आजीविका मिशन के तहत कबीरधाम जिले के विभिन्न स्थानो में महिलाओं द्वारा स्वल्पाहार केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। सर्वप्रथम मॉडल गौठान बिरकोना में भोर कलेवा के नाम से स्वल्पाहार केन्द्र प्रारंभ किया गया था। इसके बाद जिला पंचायत परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर, पोड़ी चौक, पण्डरिया के बाद अब ज़िले के पर्यटन केंद्र सरोधा दादर में महिला समूह द्वारा स्वल्पाहार केंद्र से जुड़कर कार्य कर रहीं है। सभी स्वल्पाहार केन्द्रो में महिला समूह द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा जा रहा है और इससे महिला समूह की आजीविका संर्वधन का कार्य हो रहा है।